द्वितीय अ० भा० अधिवेशन

कानपुर

११-१२ अप्रैल १९७०

भारतीय मजदूर संघ

प्रस्तावना

भारतीय मजदूर संघ की स्थापना सन् १९५५ में तिलक जयन्ती के अवसर पर २३ जुलाई को भोपाल में हुई। इसके पूर्व भारत में ४ अखिल भारतीय श्रमिक संगठन इनटुक, एटुक, हिन्द मजदूर सभा तथा युटुक चल रहे थे। १९५५ से इस पांचवें श्रमिक संगठन ने शून्य से सृष्टि निर्माण करने का प्रयत्न प्रारम्भ किया। इसकी प्रगति क्रमशः मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा दिल्ली से बढ़ते हुए आज देश के सभी राज्यों में फैल चुकी है। असम की चाय बागान से लेकर सौराष्ट्र के तेल और प्राकृतिक गैस कारपोरेशन के मजदूरों तक तथा कश्मीर की केसर कियारियों के मजदूर से लेकर केरल के मछुवारे मजदूरों की यूनियनों तक में जहां भारतीय मजदूर संघ ने प्रवेश किया है, वहीं आज रेलवे, प्रतिरक्षा, बैंक, बीमा, विद्युत, टेक्सटाइल, सुगर, इंजीनियरिंग, इस्पात, परिवहन, खदान, तेल व प्राकृतिक गैस, फर्टलाइजर व केमिकल्स, रिफा, स्वायत्त, शिक्षण संस्थान, न्यूज पेपर तथा सरकारी प्रेस के मजदूरों में प्रभावी रूप से कार्य बढ़ाते हुए इन उद्योगों के मजदूरों का अखिल भारतीय महासंघों को बनाने में भी सफल हुआ है। और आज इसे ८ राज्यों–दिल्ली, पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा मैसूर में सरकार की ओर से मान्यता मिल चुकी है।

सन् १९६७ को १२ व १३ अगस्त के दिन दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ का प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन सम्पन्न हुआ था। उस समय देश के १५ राज्यों में भारतीय मजदूर संघ का कार्य था तथा सदस्य संख्या २ लाख ४६ हजार थी। कानपुर में ११ व १२ अप्रैल, १९७० को सम्पन्न हुए द्वितीय अखिल भारतीय अधिवेशन के अवसर पर भारतीय मजदूर संघ का कार्य देश के सभी राज्यों में पहुंच चुका है और सदस्यता भी ४ लाख ६५ हजार हो चुकी है।

कानपुर के इस अधिवेशन में शामियाने तथा कनात लगाकर प्रतिनिधियों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। अधिवेशन स्थल को 'विश्वकर्मा नगर' के नाम

से विभूषित किया गया था। अधिवेशन के निमित्त होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु उ० प्र० के मजदूरों विशेषकर कानपुर के मजदूरों से एक एक रुपये के कूपन द्वारा धन संग्रह किया गया और प्रत्येक प्रतिनिधि से ७ रुपये अधिवेशन शुल्क भी लिया गया। कानपुर नगर की फार्मेसिस्ट यूनियन ने प्रतिनिधियों के लिये जहां चिकित्सा की व्यवस्था अपने हाथ में ली, वहीं ट्रेनों में वर्थ आरक्षण और स्वागत का भार प्रतिरक्षा व रेलवे की यूनियनों ने सम्भाला।

अधिवेशन में भाग लेने वाले चाहे वे नेता हों या सामान्य मजदूर सभी के लिये खाने, पीने व ठहरने की एक ही व्यवस्था की गई थी। वयोवृद्ध निवर्तमान अ० भा० अध्यक्ष श्री दादा साहेब काम्बले, नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री विनयकुमार मुखर्जी, महामन्त्री श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री हुकुमचन्द्र कछवाय एम० पी०, मध्य रेलवे कर्मचारी संघ व पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष श्री रामस्वरूप विद्यार्थी एम० पी०, तथा दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष व सुप्रीमकोर्ट के एडवोकेट श्री वी० पी० जोशी आदि सभी नेताओं ने प्रतिनिधियों के साथ उन्हीं सामियानो में रहकर ४८ घंटे के इस व्यस्त अधिवेशन को सफल बनाया। अधिवेशन में कुल १८५७ प्रतिनिधियों तथा ३५ पर्यवेक्षको ने भाग लिया।

अधिवेशन में जहा श्रमिकों के आदि देव श्री विश्वकर्मा, दरिद्रनारायण के मसीहा स्वामी विवेकानन्द, भारत के मजदूर आन्दोलन के जनक लाला लाजपतराय को श्रद्धांजलि अर्पित की गई वहा स्व० हरिहरनाथ शास्त्री, गंगासहाय चौबे तथा ईश्वरदयाल सक्सेना के चित्रों को माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।

अधिवेशन का शुभारम्भ वन्देमातरम् से हुआ और भारत माता की जय के साथ समाप्त किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक थी, बाद में क्रमशः दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र तथा बंगाल के प्रतिनिधियों की संख्या थी।

अधिवेशन में ट्रेड यूनियन कार्य के साथ ही खेतिहर मजदूर, सहकारी आन्दोलन, बुनकर समिति तथा विश्वकर्मा समाज के साथ सम्पर्क लाने व उनकी समस्याओं में सहयोग देने के लिये संयोजन समितियों का भी निर्माण किया गया।

देश के सभी प्रदेश मंत्रियों ने अपने प्रदेश के कार्य का वृत्त अपनी क्षेत्रीय

भाषा में दिया तथा अंतिम दिन के जुलूस में भी विभिन्न राज्यों से आये हुये प्रतिनिधियों ने अपनी क्षेत्रीय बोली में ही नारे लगाये।

प्रतिनिधि पण्डाल को लगभग १०० पटों द्वारा सजाया गया था। उन पटों पर व्यंगचित्र, ध्येय वाक्य, सिद्धान्त व नीति, मजदूर और औद्योगिक जगत की जानकारी देने वाले आंकड़ों को उल्लिखित व चित्रित किया गया था।

अधिवेशन के पूर्व ८ अप्रैल ७० को महामन्त्री श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी ने पत्रकारों से वार्ता की तथा ९ व १० अप्रैल को स्थानीय खत्री धर्मशाला में केन्द्रीय कार्य समिति की बैंठक सम्पन्न हुई। नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्य समिति ने अधिवेशन के उपरान्त १३ अप्रैल, ७० को विश्वकर्मा नगर की अपनी बैठक में विगत वर्षों का सिंहावलोकन करते हुए आगामी २ वर्षों की योजनाओं पर सूक्ष्म रूप से विचार किया।

खुला अधिवेशन दिनांक १२ अप्रैल की सायंकाल ५ बजे परेड मैदान में सम्पन्न हुआ। जिसमें सर्वश्री रामनरेश सिंह कानपुर, श्री अमलदार सिंह बम्बई, श्री एस० कृष्णैया बंगलौर, श्री ओमप्रकाश अग्घी लुधियाना, नरेशचन्द्र गाँगुली-एडवोकेट (कलकत्ता) तथा संसद सदस्य दत्तोपन्त ठेंगड़ी के भाषण हुए। तथा नवनिर्वाचित अ० भा० अध्यक्ष श्री विनयकुमार मुखर्जी ने अध्यक्षता की।

पत्रकार सम्मेलन

स्थानीय प्रेस क्लब में ८ अप्रैल ७० को भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री व संसद सदस्य श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी ने एक पत्रकार वार्ता मे निम्नांकित वक्तव्य दिया—

भारतीय मजदूर संघ का द्वितीय द्विवार्षिक अधिवेशन यहां स्थानीय नानाराव पार्क में ११, १२ अप्रैल को होगा। अधिवेशन को सफल बनाने में सनातन धर्म कालेज के अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख श्री अम्बा प्रसाद जी गौड़ की अध्यक्षता में गठित स्वागत समिति दिन रात जुटी हुई है। १८ राज्यों व केन्द्र शासित क्षेत्रों में फैले ४३ विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही ८९९ यूनियनों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग २,००० प्रतिनिधि अधिवेशन में भाग लेंगे। न्यायमूर्ति श्री मिट्ठनलाल ने अधिवेशन का उद्घाटन करने की स्वीकृति दे दी है।

भारतीय मजदूर संघ की कुल सदस्य संख्या ४,५६,१०० है। राज्य स्तरीय

मान्यता इसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश विहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व मैसूर आदि आठ राज्यों को मिल चुकी है। भारत सरकार ने सभी केन्द्रीय श्रम संगठनों की अखिल भारतीय मान्यता के प्रश्न पर 'राष्ट्रीय श्रम आयोग' की श्रम संस्तुतियों के सन्दर्भ में पुनर्विचार करने का हमें आश्वासन दिया है।

अधिवेशन विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों की अन्यान्य समस्याओं पर विचार-विमर्श व निर्णय करने के साथ ही भारतीय मजदूर संघ की निम्नांकित सामान्य मांगों की पूर्ति के लिये अपनाये जाने वाले माध्यमों का भी उल्लेख करेगा।

(१) कि लोक सभा व राज्य विधान सभाओं के चुनाव व्यावसायिक प्रधिनिधित्व के सिद्धान्त पर हों।

(२) सार्वजनिक व निजी दोनों ही क्षेत्र में श्रमिकीकरण के सिद्धान्त का प्रचलन हो।

(३) कि राष्ट्रीय संराधन तंत्र के अनुरूप अखिल भारतीय स्तर पर एक 'स्थाई राष्ट्रीय वेतन परिषद तंत्र' बनाया जाय।

(४) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में नियोजन, आय, मूल्य तथा उत्पादकता पर श्रमिक प्रतिनिधियों के परामर्श से राष्ट्रीय नीतियों का उद्घाटन हो,

(५) कि जीवन वेतन और वास्तविक वेतन में अंतर रहने तक बोनस विलम्बित या अनुपूरक वेतन है—के सिद्धान्त का समावेश करते हुए बोनस अधिनियम में बदल किया जाय।

(६) कि आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन का सिद्धान्त अप्रतिबन्धित रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकार हो। तथा

(७) किसी उद्योग या औद्योगिक संस्थान में श्रमिक संघ की सदस्यता का प्रश्न यूनियनों के सदस्यों के गुप्त मतदान द्वारा तय हो।

अन्यान्य विषयों के साथ ही साथ यह अधिवेशन देश के श्रम आन्दोलन के अराजनीतिकरण के उपायों का भी विचार करेगा।

अधिवेशन के पूर्व ९, १० अप्रैल को भारतीय मजदूर संघ की राष्ट्रीय कार्य समिति की भी बैठकें होंगी।

केन्द्रीय कार्यसमिति द्वारा पारित प्रस्ताव

★ ९ अप्रैल १९७० को भारतीय मजदूर संघ की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक मजदूर संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री बी० एस० काम्बले की अध्यक्षता में हुई। जिसमें भारत सरकार से मांग की गई कि देश के औद्योगिक स्वामित्वों के ढाचों पर एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाय जिससे कि—

(१) निम्नांकित कार्यों के लिए शास्त्रीय कसौटियों का निर्धारण हो सके—

(अ) निजी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण।

(ब) सरकारी सेवाओं या उद्योगों का आयोगों, न्यायाधिकरणों तथा मण्डलों के अन्तर्गत सम्बन्धित विधायक मण्डलों के प्रति उत्तरदायी गैर-सरकारी जन-क्षेत्रीय एजेन्सियों में बदल।

(स) संयुक्त उद्योगों व संयुक्त क्षेत्रों का प्रचलन ' ा

(द) सहकारीकरण, निगमीकरण, जन .त्रीकरण तथा स्व-नियोजीकरण।

(य) सभी क्षेत्रों के उद्योगों में श्रम का हिस्सों के रूप में मूल्यांकन करते हुए प्रगतिशील श्रमिकीकरण।

(र) सभी जनक्षेत्रीय प्रतिष्ठानों में व्यवस्थापिका का लोकतंत्रीकरण।

(ल) निजी क्षेत्रीय उद्योगों की आर्थिक क्षमता का विकेन्द्रीकरण।

(व) विदेशी बैंकों, विदेशी व्यापार का बीमा तथा साम्यवादी देशों से आयात निर्यात व्यापार का शीघ्रातिशीघ्र राष्ट्रीयकरण।

(श) विदेशी स्वामित्व वाले उद्योगों का भारतीयकरण और केवल निम्न आय समूह के भारतीय नागरिकों को उनके हिस्से खरीदने का अवसर देते हुए उनके स्वामित्व का लोकतन्त्रीकरण। तथा

(ष) विभिन्न क्षेत्रों का स्पष्ट सीमांकन।

★ भारतीय मजदूर संघ की राष्ट्रीय कार्यसमिति ने मांग की कि देश के औद्योगिक श्रमिकों की सामान्य समस्याओं के निपटारे के लिये भारत सरकार को एक सामान्य श्रम संहिता का निर्माण करना चाहिये। कार्यसमिति ने 'राष्ट्रीय श्रम आयोग' द्वारा इस प्रश्न पर अपनाये गये रुख के प्रति अपना असन्तोष व्यक्त करते हुए कहा है कि सामाजिक न्याय व औद्योगिक शान्ति के लिये राज्यों के वर्तमान श्रमिक अधिकारों व सुविधाओं को यथावत रखते हुए बिभिन्न राज्यों के औद्योगिक कानूनों में एकरूपता लाना अनिवार्य था।

★ भारतीय मजदूर संघ की राष्ट्रीय कार्यसमिति ने मांग की कि मुद्रा तथा साख सम्बन्ध समस्याओं के मामलों में उत्तरदायी व अधिकार सम्पन्न एक स्वायत्त शासी वित्तीय अधिकरण का गठन किया जाय जो (१) मुद्रा विनियन्त्रण द्वारा मूल्य नियन्त्रण तथा (२) साख विनियन्त्रण द्वारा परिपूर्ण नियोजन के उद्देशीय राष्ट्रीय लक्षों की पूर्ति कर सके।

आगे कार्यसमिति नें बैंकिग उद्योग में सभी स्तरों पर वित्तीय परामर्श सेवाओं के गठन [illegible] मांग की है जिमसे सूक्ष्म आयोजना (माइक्रो–प्लानिग) द्वारा गांव के छोटे किसानों [illegible] कारीगरों व शहरी क्षेत्र के स्वनियोजित कारीगरों व साहस पूर्वक पूंजी लगाने वालों [illegible] लाभ हो सके।

कार्यसमिति ने राष्ट्रीय कृत बैंकों के सभी बैंक कर्मचारियों के वेतनक्रमों में बैंक आफ इंडिया के स्तर ५ प्रतिशत ऊपर लाने की मांग करते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि यदि इस मूल मांग को छोड़ते हुए किसी यूनियन से कोई समझौता किया जाता है तो उसका विरोध किया जायगा।

कार्यसमिति ने अनुसंशा की है कि बैंक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को निदेशक मण्डलों में सरकार द्वारा मनोनीत न करके निर्वाचित किया जाय।

★ विभिन्न उद्योगों के लिए गठित वेतन मण्डलों के ढांचे व उनकी अभी तक की कार्यविधि पर असन्तोष प्रकट करते हुए भारतीय मजदूर संघ की राष्ट्रीय कार्यसमिति ने बलपूर्वक कहा कि भविष्य में वेतन मण्डलों के गठन व उनके आचरण को बदल कर उन्हें सामुहिक सौदेबाजी के लिये त्रिपक्षीय माध्यम बनाना चाहिये।

कार्यसमिति ने आगे कहा है कि भारत सरकार को जो देश की सबसे बड़ी नियोजक है सूची बद्ध आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन के सिद्धान्त को अवश्य स्वीकार करना चाहिए।

★ केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए भारत सरकार द्वारा तृतीय वेतन आयोग गठित करने के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए भारतीय मजदूर संघ की राष्ट्रीय कार्यसमिति ने मांग की कि सरकार को अन्तरिम सहायता की घोषणा त्वरित करनी चाहिए, आयोग के क्षेत्र, गठन और विचारणीय प्राविधानों को संयुक्त परामर्शदात्री समिति में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के परामर्श से अंतिम रूप देना चाहिये, आयोग के कार्य समाप्ति की कालावधि निर्धारित करनी चाहिये, वर्तमान मूल्य ढांचे के अंतर्गत आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन के निर्धारण का कार्य भी आयोग को सौंपना चाहिए तथा वास्तविक वेतन की पूर्ण सुरक्षा की गारन्टी देनी चाहिये। सेवा विमुक्त व अभिवृत्ति पाने वाले कर्मचारियों को भी आयोग के अन्तर्गत लाना चाहिए।

कार्यसमिति ने दृढ़तापूर्वक मांग की कि रेलवे कर्मचारियों की संख्या और उनकी श्रेणी बाहुल्यता को देखते हुए, रेलवे कर्मचारियों के लिए एक प्रथक वेतन मण्डल गठन किया जाना चाहिए।

दिनांक १० अप्रैल ७० की बैठक में 'वास्तविक वेतन जब तक जीवन वेतन से कम रहता है बोनस 'विलम्बित' या 'अनपूरक' वेतन है—इस सिद्धान्त का समावेश करते हुए बोनस अधिनियम में बदल करने को मांग भारतीय मजदूर संघ की राष्ट्रीय कार्यसमिति ने की। कार्यसमिति ने आगे कहा कि जीवन वेतन मिलने के पश्चात ही बोनस को लाभ में हिस्सेदारी की योजना माना जा सकता है। परिणामस्वरूप बोनस को सभी भुगतानों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। देश को हर एक वेतनभोगी को चाहे वह निजी क्षेत्र का हो या सार्वजनिक क्षेत्र का तथा उस प्रतिष्ठान के कर्मचारियों की संख्या चाहे जितनी हो उसे बोनस पाने का अधिकार रहना चाहिए। २०% की अधिकतम सीमा का प्रतिबन्ध भी समाप्त किया जाना चाहिये।

कार्यसमिति ने जानबूझ कर सेवायोजकों द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 'अव्यवस्थित' करने की मनोवृत्ति पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की। क्योंकि यह न उद्योगों के और न ही उसमें सेवारत मजदूरों के हित में है। इससे लाभ व अन्य

पावनों का दूसरे मार्गों से दुरुपयोग कर सकने का भी अवसर प्राप्त हो जाता है।

पूर्व चेतावनी पद्धति के रूप में कार्यसमिति ने सभी निजी क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों में 'कुशलता परीक्षण' की प्रथा प्रारम्भ करने तथा कर्मचारियों को हिसाब किताब तथा तत्सम्बन्धित कागजों की जांच करने का अधिकार दिये जाने का सुझाव दिया। मजदूरों को सम्बन्धित प्रतिष्ठानों में लगी पूंजी के व्यय करने सम्बन्धी निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी भागीदार बनाने की कार्यसमिति ने मांग की।

★ एक अन्य प्रस्ताव द्वारा भारतीय मजदूर संघ की राष्ट्रीय कार्यसमिति ने विभिन्न राज्यों की विद्युत परिषदों की वास्तविक रूप में स्वायत्तशासी निगमों में, जो सम्बन्धित राज्यों के विधायक मण्डलों के प्रति उत्तरदायी रहें परिवर्तित करने की मांग की। इन प्रस्तावित निगमों के निदेशक मण्डल, उनके कर्मचारियों व्यावसायिक हितों, सम्बन्धित राज्य विधायक मण्डलों के मनोनीत प्रतिनिधियों के रूप में उपभोक्ताओं तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों को सम्मिलित करके बनाया जाय।

कार्यसमिति ने, विद्युत कर्मचारियों के प्रथम राष्ट्रीय वेतन मण्डल की संस्तुतियों में त्वरित निम्नांकित संशोधन करने की मांग की है :—

मंहगाई भत्ते को १७१ निदेशांक के ऊपर हुई औसत बढ़ोत्तरी से नहीं वरन् सीधा ही जीवन निर्देशांक से जोड़ दिया जाय। निर्देशांक के प्रत्येक अंक की बढ़ोत्तरी के लिये ७५ पैसे के स्थान पर एक रुपये की दर से बढ़ोत्तरी देकर विलीनीकरण किया जाय।

अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन रु० १४० से बढ़ाकर रु० १६५ प्रति माह किया जाय तथा इसे १ अप्रैल ६९ के स्थान पर अन्तरिम सहायता दिये जाने की तिथि से लागू किया जाय।

आवास भत्ता, मंहगाई व मूल वेतन मिलाकर विशेष क्षेत्रों में १५ % तथा शेष को १० % की दर से दिया जाय।

ग्रेच्युटी ५ वर्ष के सेवाकाल के पश्चात ही मंहगाई भत्ता सहित एक माह के मूल वेतन की दर से दिया जाय।

महाराष्ट्र की भांति दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को न्यूनतम वेतन ४ रु० प्रति दिन करके इसे जीवन निर्देशांक से जोड़ दिया जाय।

★ भारतीय मजदूर संघ की राष्ट्रीय कार्यसमिति ने चीनी उद्योग के दूसरे वेतन मण्डल की सिफारिशों की कमियों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए मांग की है कि चीनी मिल मजदूरों की आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम वेतन पूरी ग्रेच्युटी तथा ५०% "रिटेनिंग एलाउंस" के रूप में अकुशल व ऋतुकालिक (सीजनल) मजदूरों को ५०% वेतन बैठकी भत्ता (रिटेनिंग एलाउंस) के रूप में दिया जाय।

कार्य समिति ने आगे मांग की कि है चीनी उद्योगों में बोनस को उत्पादन पर आधारित किया जाय। कार्य समिति ने यह भी मांग की है कि चीनी मिलों की व्यवस्था करने के लिए मिल मालिकों, मजदूरों, राज्य विधायक मण्डलों तथा गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधियों की राज्य और कारखाना क्षेत्र दोनों स्तरों पर "औद्योगिक" समितियां गठित की जानी चाहिये।

जीवन बीमा निगम की मजदूर विरोधी नीतियों की निन्दा करते हुए भारतीय मजदूर संघ की राष्ट्रीय कार्यसमिति ने श्रम नीति की पुनर्रचना करने स्वचलितीकरण समाप्त करने इंश्योरेंश एक्ट की ४० बी० की समाप्ति करने तथा २१० रु० से लेकर ६३० रु० के नये वेतन क्रम १९५८-५९ स्तर पर लागू करने की मांग की।

——:०:——

राष्ट्रीय कार्यसमिति

दिनांक ११ अप्रैल, ७० को भारतीय मजदूर संघ की प्रतिनिधि सभा ने आगामी वर्ष १९७०–७२ के लिए राष्ट्रीय कार्यसमिति के निम्नलिखित पदाधिकारियोंका निर्वाचन सम्पन्न किया।

(१)	अध्यक्ष	श्री बी० के० मुकर्जी	लखनऊ
(२)	उपाध्यक्ष	श्री रामाशंकर सिंह	सिन्दरी (बिहार)
(३)	,,	श्री गजाननराव गोखले	बम्बई
(४)	,,	श्री वी० पी० जोशी	दिल्ली
(५)	महामंत्री	श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी	दिल्ली
(६)	मन्त्री	श्री रामनरेश सिंह	कानपुर
(७)		श्री ओमप्रकाश अग्घी	लुधियाना (पंजाब)
(८)	,,	श्री जी० प्रभाकर	मंगलोर (मैसूर)
(९)	कोषाध्यक्ष	श्री मनहर मेहता	बम्बई

इनके अतिरिक्त सभी प्रदेशों व अ० भा० महासंघों के महामंत्री राष्ट्रीय कार्यसमिति के पदेन सदस्य हैं।

भारतीय मजदूर संघ के नव निर्वाचित अ० भा० अध्यक्ष

श्री विनयकुमार मुकर्जी

श्री विनयकुमार मुकर्जी जो दादा मुकर्जी के ही नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं, इनटक के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। इनटक के गठन से पूर्व आप एटक के महामंत्री भी रह चुके हैं। नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमेन्स की भी नींव दादा मुकर्जी ने ही डाली। रूस, चीन, फ्रांस, इटली आदि कई देशों में भारत के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व दादा जी के द्वारा हो चुका है। आप राज्य विधान मण्डल व संसद के भी सदस्य रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश दुकान कानून व प्राविडेन्ट फण्ड एक्ट के भी आपही प्रणेता हैं।

वर्तमान समय में आप भारतीय मजदूर संघ. उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष व भारतीय रेलवे मजदूर संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष भी हैं।

प्रतिनिधियों के बीच प्रा० राजेन्द्रसिंह का

उद्बोधन

आज अपने ही लोग स्वयं की बुद्धि व प्रतिभा का उपयोग न कर दूसरों की नकल कर रहे हैं। रूस और अमेरिका आदि विदेशों से विचार व धन ले रहे हैं। ऐसी अवस्था में भारतीय मजदूर संघ भारतीय दृष्टिकोण लेकर चल रहा है, अपने पर उसे भरोसा है, विश्वास है, इसीलिए इस संस्था से मेरी आत्मीयता है।

हमारे यहां का दृष्टिकोण ही है, मनुष्य को ऊंचा उठाना। नर से नारायण बनाना। मजदूरों के हित के साथ ही संसार का भी हित साधन करना।

रू॰ ने यह विचार रखा कि हर एक आदमी से जितना काम लिया जा सकता है, लिया जावेगा और जितनी जिसकी आवश्यकता होगी, पूरी की जावेगी। परिणाम यह निकला कि संगीनों के बल पर जोर जबरदस्ती करके, यातनायें देकर काम लिया जाने लगा। दिया कम और काम ज्यादा मिला।

हमारे यहां श्रम की महत्ता बतलाई गई है। कर्म ही पूजा है—कहा गया है। अधिक से अधिक काम करना और कम से कम उपभोग करने को अपने यहां कहा गया है।

बाहर से, विदेशों से कुछ अच्छी बातें लेना गलत नहीं है, आवश्यक होगा तो उसे भी लेंगे, पर अपनी दृष्टि से बनाकर उसे लेंगे। जिसमें व्यक्तिगत लाभ है पर राष्ट्रीयता का अभाव है, वह हमें नहीं चाहिए।

सिद्धान्त, नीति और मार्ग—इन सभी पहलुओं को अपनाने में अपनी एक विशेषता है।

वरिष्ठ, कनिष्ट सभी में परिवार का भाव, आत्मीयता का भाव चाहिये।

जनतन्त्र का अर्थ अनुशासन हीनता नहीं है। न अनुशासन का अर्थ जनतन्त्र का अभाव है। अनुशासन और जनतन्त्र दोनों का तारतम्य बैठाकर हमें चलना है।

सभी प्रकार के सामाजिक कार्यों के लिये 'व्यवहार' बड़े ही महत्व का अंश है। दूसरों की बातें सुनें, उसके बिचार सुनें, खुले मस्तिष्क से सभी बातों को सोचने की गुन्जाइश रखें। शब्दों का बड़ा भारी स्थान है। शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करें।

'कार्यकर्ता' का अर्थ है—सहयोगी को कार्य में लगाना। अकेले ही सब करना—यह कार्यकर्ता का लक्षण नहीं है। श्रेष्ठ नेतृत्व के लक्षण यही हैं कि सबको उसके गुण व सामर्थ्य के अनुसार योग्य दिशा में लगा देना।

हर कार्य के अन्दर 'सिद्धान्तवाद', 'ध्येयवाद' की आवश्यकता है। साधन जुटाने में अनेक कठिनाइयां आती हैं पर उससे जीवट' पैदा होता है। सुविधाओं से सगठन गिरता है, ध्येयवाद नष्ट होता है।

'ध्येयवाद' को लेकर चलने वाले संगठन को कोई कठिनाई रोक नहीं सकती। वास्तव में कठिनाइयों के बीच चलने वाले संगठन ही निश्चित रूप से सफल होते हैं। आपके संगठन की सफलता का यही रहस्य है।

—

प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित प्रस्ताव

★ विश्वकर्मानगर (कानपुर), में अप्रैल १२, १९७० को भारतीय मजदूर संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, जिसकी बैठक आज यहां भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष श्री बी० पी० जोशी की अध्यक्षता में हुई, ने भारत सरकार से मांग की है कि देश के औद्योगिक स्वामित्वों के ढाचों पर एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाय जिससे कि—

(१) निम्नांकित कार्यों के लिए शास्त्रीय कसौटियों का निर्धारण हो सके—

(अ) निजी उद्योगों के सरकारीकरण।

(ब) स [illegible] ारी सेवाओं या उद्योगों का आयोगों, न्यायाधिकरणों तथा मण्डलों [illegible] अन्तर्गत सम्बन्धित विधायक मण्डलों के प्रति उत्तरदायी गैर–सरकारी ज[illegible] क्षेत्रीय एजेन्सियों में बदल।

(स) संयुक्त उद्योगों व संयुक्त क्षेत्रों का प्रचलन। तथा

(द) सहकारीकरण, निगमीकरण, जनतन्त्रीकरण तथा स्व-नियोजीकरण।

(२) सभी क्षेत्रों के उद्योगों में श्रम का हिस्सों के रूप में मूल्यांकन करते हुए प्रगतिशील श्रमिकीकरण।

(३) सभी जनक्षेत्रीय प्रतिष्ठानों में व्यवस्थापिका का लोकतंत्रीकरण।

(४) विदेशी बैंकों, विदेशी व्यापार का बीमा तथा साम्यवादी देशों से आयात निर्यात व्यापार का शीघ्रातिशीघ्र राष्ट्रीयकरण।

(५) निजी क्षेत्रीय उद्योगों की आर्थिक रचना का विकेन्द्रीकरण।

(६) विदेशी स्वामित्व वाले उद्योगों का भारतीयकरण और केवल निम्न आय समूह के भारतीय नागरिकों को उनके हिस्से खरीदने का अवसर देते हुए उनके स्वामित्व का लोकतन्त्रीकरण । तथा

(७) विभिन्न क्षेत्रों का स्पष्ट सीमांकन ।

भारतीय मजदूर संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने सर्वोच्च न्यायालय व देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों से विनम्रतापूर्वक आग्रह किया है कि श्रम सम्बन्धी मामलों के निपटारे के लिये पृथक पीठिकाओं की स्थापना की जाय । भारतीय मजदूर संघ का यह अधिवेशन आगे मांग करता है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को अविलम्ब ही श्रमिक मामलों के संराधन स्तर और अन्ततः अभिनिर्णय द्वारा शीघ्र निपटारे के लिए आवश्यक कानूनी प्राविधान करना चाहिए ।

सभा का यह निश्चित मत है कि अब सरकार को अविलम्ब ही निम्नांकित तीनों शाखाओं में विशेष दक्ष श्रम न्यायालयों की स्थापना करनी चाहिये :—

(अ) सामूहिक मांगों के निपटारे,

(ब) अभिनिर्णयों, समझौतों के परिपालन तथा सेवासमाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि के वैयक्तिक मामलों के निपटारे । तथा

(स) कार्य मूल्यांकन, प्रोत्साहक योजनाओं, पदोन्नति, विलयन सम्बन्धी विवादों आदि के तकनीकी मामलों के निपटारे ।

यह अधिवेशन भारत सरकार से आगे भी मांग करता है कि देश के औद्योगिक मजदूरों की सामान्य समस्याओं के निपटारे के लिये एक सामान्य श्रम संहिता बनाई जाय । प्रतिनिधि सभा राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में अपनाये गये रुख के प्रति अपना असन्तोष व्यक्त करती है तथा अनुभव करती है कि सामाजिक न्याय व औद्योगिक शान्ति के लिये यह अनिवार्य है कि मजदूरों के अधिकारों व सुविधाओं को कम किये बिना ही विभिन्न राज्यों के श्रम कानूनों में एकरूपता प्रस्थापित की जाय ।

★ भारतीय मजदूर संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने पश्चिम बंगाल की परिस्थितियों का सम्पूर्ण आंकलन करते हुए इस राज्य के श्रमिक क्षेत्र में बढ़ती हिंसावृत्ति के प्रति घोर चिन्ता प्रकट की है और सभी राष्ट्रवादी व लोकतन्त्रवादी शक्तियों से जो प० बंगाल के श्रमिक क्षेत्र म सक्रिय हैं अपील की है कि आतंकवादी व नक्सलवादी कम्युनिष्ट पार्टियों की मजदूर विरोधी कार्य-वाहियों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाया जाय। प्रतिनिधि सभा ने अपनी प० बंगाल शाखा को इस सम्बन्ध में आगे बढ़कर पहल करने का निर्देश दिया है। आगे चेतावनी देते हुए प्रतिनिधि सभा ने कहा है कि यदि शीघ्र ही इस दिशा में कोई प्रभावी कदम न उठाया गया तो प० बंगाल के बाहर भी तोड़ फोड़ व विभाजनवादी तत्वों का हौंसला बढ़ेगा, जैसा रेवातहाटा परिमाणु परियोजना के मजदूरों की सामुहिक हत्याओं और कई अन्य बातों से स्पष्ट है।

★ बाधू (दुर्घटना) समिति ने भारतीय रेलवे मजदूर संघ की ही भांति रैलवे बोर्ड के वर्तमान ढांचे की निन्दा की है—अतः भारतीय मजदूर संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा मांग करती है कि रेलवे कर्मचारियों की क्षमता एव उत्पादकता बढ़ाने हेतु भारतीय रेलवे का सुधार स्वशासित निगम के अन्तर्गत किया जाय, जि॰ ` राष्ट्रीय उद्योग की वास्तविक कार्यप्रणाली और जनता को आर्थिक स्थिति का सही ॱदर्शन हो सके। भारतीय रेलों की प्रति वर्ष होने वाली क्षति को कम करने के लिए नि॰प का गठन एक सही समाधान है। भारतीय मजदूर संघ की प्रतिनिधि सभा भारत ारकार से अनुरोध करती है कि वह इस पहलू को समझे और रेलवे के लिये स्वशासित निगम गठित करे, जिससे सभी जगह नोकरशाही को समाप्त किया जा सके और विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् जनता, व्यवसायिक हितों, एवं रेलवे स्टाफ का प्रतिनिधित्व करने वाली रेलवे की सम्पूर्ण कार्यप्रणाली में नयी भावना भरी जा सके। तथा रेलवे स्टाफ और प्रबन्धक सरकार राष्ट्रीय हितों से सम्बन्धित मामलों की जिम्मेवारियां अच्छी प्रकार वहन कर सके।

—o—

भारतीय मजदूर संघ के द्वितीय अखिल भारतीय अधिवेशन के अवसर पर

दि० ११ अप्रैल, १९७० को नानाराव पार्क, कानपुर में

स्वागताध्यक्ष श्री अम्बाप्रसाद गौड़

(अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग श्री विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय, कानपुर)

का

स्वागत भाषण

श्रीमान् दादा साहेब काम्बले, श्री ठेंगड़ी जी व प्रतिनिधि बन्धुओं,

उत्तर प्रदेश के इस महान औद्योगिक नगर तथा इस ऐतिहासिक पार्क (नानाराव) में आप सबको एकत्रित देख कर आज हमें परम हर्ष एवं गर्व का अनुभव हो रहा है। जिस उद्देश्य से आप सभी यहां पधारे हैं, उस पर विचार करने पर तो यह प्रत्यक्ष ही ज्ञात होता है कि आपका यह आगमन कितना उपयोगी है। कानपुर, उत्तर भारत का एक औद्योगिक नगर होने के नाते, श्रम का भी एक बड़ा केन्द्र है। यहां पर स्थित विविध व्यवसायों, उद्योगों तथा संस्थाओं में लगे हुए श्रमिकों की संख्या कितने ही लाख आंकी जाती है।

आज के वर्ग-वाद और वर्ग-संघर्ष के समय में श्रमिकों का संगठन करना, उनके हितो की रक्षा करना, उनकी अपार शक्ति को मुखरित करना तथा उसे उचित दिशा में निर्देश देना कोई सामान्य कार्य नहीं है। अपने अधिवेशन के इन दो दिनों में आप लोग श्रम-सम्बन्धी अनेक विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे और ऐसी आशा की जाती है कि उन पर किसी निश्चय पर भी पहुंचेंगे। विचार-विमर्श के समय हमारा एक विशेष दृष्टिकोण होगा। जहां यह ठीक है कि हम पुरानी प्रागऐतिहासिक नीतियों और प्रणालियों को लेकर आज की नित-नवीन दुनियां में आगे नहीं बढ़ सकते, वहां यह भी मानना होगा कि किसी समस्या पर बिना पूर्ण-रूपेण विचार किये अथवा किन्हीं आधुनिक देश की नीतियों

को मान्यता देना श्रेयस्कर न होगा। हमें अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के आधार पर ही अपने नये संगठन का निर्माण करना है। उस निर्माण कार्य में अपनी मर्यादाओं की सीमा में जहां से भी जो कुछ उपयोगी सहायता हमें प्राप्त होगी, हम उसका स्वागत करेंगे।

प्रत्येक श्रमिक का कार्य–शारीरिक अथवा बौद्धिक उत्पादन में यथाशक्ति योग प्रदान करना होता है। श्रमिक उत्पादन का एक प्रमुख अंग है। किन्तु जितना उत्पादन की मात्रा एवं कुशलता में वृद्धि करना उसका कर्तव्य है उतना ही समाज का भी यह कर्तव्य है कि इन कार्यशील श्रमिकों को सभी साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखे। विगत कई दशाब्दियों से, जब से श्रमिक आन्दोलन ने प्रगति की है, प्राय: ऐसा देखने में आता है कि श्रम-संगठनों के आन्दोलन से उत्पादन में आशातीत वृद्धि की अपेक्षा कमी हुई है। इसका कारण भी स्पष्ट ही है। श्रम-नियोजक केवल अपने स्वार्थ की ओर देखते हैं और श्रमिकों के प्रति वैसा व्यवहार तथा दृष्टिकोण नहीं रखते जैसा होना चाहिये। सरकार जो श्रमिकों और श्रम-नियोजकों के ऊपर है, और जिसे निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में कार्य करना चाहिये, हर समय राजनैतिक दृष्टिकोण से श्रम-समस्याओं पर विचार करती है। उसे यह ध्यान नहीं रहता कि श्रमिक भी एक जीवित प्राणी है और समाज के गणक के रूप में उसकी एक स्थिति है, जिस पर उसी दृष्टिकोण से विचार होना चाहिये। परिणाम-स्वरूप श्रमिकों को वर्ग-संघर्ष के लिये तैयार होना पड़ता है और संघ नेताओं को इनका संगठन बनाकर इन्हें इस संघर्ष की ओर प्रेरित करना होता है। सभी वर्गों का अपने स्वार्थ की सिद्धि में रत रहने के कारण उसका उत्पादन और उत्पादन-क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। फलत: पूरे समाज को जिसमें श्रमिक, नियोक्ता तथा सरकारी कर्मचारी और राजनीतिज्ञ सभी सम्मिलित है, हानि उठानी पड़ती है। साधारण जन समाज, जो अपने को इनमें से किसी वर्ग विशेष में नहीं रख पाता, अकारण ही त्रसित होता है और समाज का संगठन, शनै: शनैः ढीला होता जाता है।

हमें इस अधिवेशन में यही विचार करना है कि विविध उद्योगों

और व्यवसायों में लगे हुए श्रमिकों का किस प्रकार मार्ग-निर्देशन किया जाये जिससे उनके हितों की पूर्ति हो, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हो, समाज में विश्रृंखलता न फैले और वर्ग-संघर्ष की प्रवृत्ति में कमी हो। आज की अर्थ-प्रणाली एवं औद्योगिक संगठन हमें पाश्चात्य देशों से मिली हैं। उनके औद्योगिक जीवन में अनेक समस्यायें समय २ पर उपस्थित होती रही हैं। जिनको सुलझाने के अनेक उपाय ढूंढ निकाले जा चुके हैं। हमें उनके इस अनुभव का लाभ उठाना चाहिये। श्रम–संगठन केवल हड़ताल करने के लिये ही न होना चाहिए। उचित नेतृत्व के अभाव में प्राय: अनेक बाहरी लोग अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिये श्रमिकों के बीच में घुस जाते हैं और भेड की खाल में लिपटे ये भेड़िये एक ओर निर्दोष श्रमिकों का शोषण करते हैं और उन्हें पथ-भ्रष्ट करके पुलिस के आतंक का शिकार बनाते हैं और दूसरी ओर सेवायोजकों से मिलकर अपनी जेबें भरते हैं। और श्रम–समुदाय की भलाई की अपेक्षा उसे संकट में झोंक देते हैं। अपना यह भारतीय मजदूर संघ, जो पुनीत उद्देश्यों को लेकर अग्रसर हो रहा है, निरीह श्रम–समुदाय का ठीक २ पथ–प्रदर्शन कर सकेगा इसकी हमें आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है।

श्रमिकों के सामाजिक जीवन को ऊपर उठाना, उनमें शिक्षा का प्रचार करना, उनको उच्च आदर्शों का ज्ञान कराना, उनके प्रचलित अनेक अन्ध–विश्वासों एवं कुरीतियों को दूर करना तथा राष्ट्रीय कल्याण–कार्य में उनका किस प्रकार अधिकाधिक सहयोग प्राप्त हो सकता है इसका मूल्यांकन करना भी नितान्त आवश्यक है। विनाशात्मक प्रकृति एवं प्रवृत्तियों के स्थान पर उनको निर्माणात्मक विचारों से ओत-प्रोत करना भी अनिवार्य है। आये दिन उपक्रमों में होने वाली 'हड़तालों', 'घिरावों' तथा बन्द आदि से न देश की उन्नति हो सकती है और न श्रमिकों का कल्याण ही। श्रमिकों एवं नियोक्ताओं के पारस्परिक मन-मुटाव को दूर करके उनमें प्रेम का संचार करना समाज-कल्याण तथा राष्ट्र–उत्थान के लिये परमावश्यक है। यह कार्य प्रशिक्षित, अनु-

भवी तथा सहानुभूतिपूर्ण श्रमिक नेताओं के द्वारा ही सम्भव हो सकता है ।

मैं अपनी ओर से, अपने नगर की ओर से तथा नगर के श्रमिकों की ओर से अपने आदरणीय अध्यक्ष महोदय तथा अन्य सभी आगन्तुक प्रतिनिधि बन्धुओं का सादर तथा सप्रेम हार्दिक स्वागत करता हूं । अपना अमूल्य समय निकाल कर तथा अपने आवश्यक कार्यों को एक ओर रखकर इस अधिवेशन मे सम्मिलित होने का जो व्रत उन्होंने किया, उसके लिये हम सभी उनके बड़े आभारी हैं । अपना वक्तव्य समाप्त करते हुए हम अपने सभी उपस्थित अतिथियों से यह विनम्र प्रार्थना करते हैं कि यद्यपि उनके आवास तथा भोजनादि का उचित प्रबन्ध करने में हमने यथाशक्ति प्रयत्न किया है फिर भी यह सम्भव है कि कहीं किसी प्रकार की कोई त्रुटियां रह गयी हों तो वे हमें अपनी उदारता से क्षमा करेंगे । व्यवस्था की त्रुटि की ओर यदि वे संकेत कर सकें तो हम उन्हें यथा-शीघ्र सुधारने का प्रयास करेंगे ।

एक बार पुनः हम सब लोग आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और इस अधिवेशन की सफलता की कामना करते हैं ।

टिप-टाप प्रिन्टर्स, कानपुर-१ फोन--६९१११

भारतीय मजदूर संघ के द्वितीय अखिल भारतीय अधिवेशन के अवसर पर
दि० ११ अप्रैल, ७० को कानपुर में उत्तर प्रदेशीय अध्यक्ष

श्री विनयकुमार मुखर्जी का

भाषण

प्यारे भाइयों,

उत्तर प्रदेश के इस प्रमुख औद्योगिक नगर में भारतीय मजदूर संघ की उत्तर प्रदेशीय शाखा की ओर से आप सब का स्वागत करने में मुझे अत्यन्त आनन्द हो रहा है। यद्यपि इस कानपुर नगर का व्याप देश के कई अन्य नगरों से अधिक नहीं है, फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध के समय अधिकांश प्रतिरक्षा सामग्री पहुंचाने का यह केन्द्र रहा है। बाद में इसकी इस क्षमता में और भी वृद्धि हुई है, क्योंकि यहां का उत्पादन अब अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गया है। जैसा आप सभी जानते हैं कि जब तक मजदूर यंत्रों को हांथ नहीं लगाता, अकेले यंत्र या केवल पूंजी किसी प्रकार का भी उत्पादन करने में पूर्णतः असमर्थ रहते हैं, अतः इन सबका श्रेय इन प्रतिष्ठानों में कार्यरत भूखे मजदूरों को ही है। पिछले एक दशक में चूंकि भारतीय मजदूर संघ ने नगर के श्रम आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, अतः इस अराजनैतिक श्रम संस्था के सदस्यों को ही नगर के विभिन्न उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने का श्रेय है।

ट्रेड यूनियन आन्दोलन का प्रारम्भ यद्यपि अपने देश में लगभग अर्ध-शती पूर्व हो चुका था, फिर भी इसे आज तक चम्मच से ही दूध पिलाना पड़ रहा है। राजनैतिक दलों के समर्थन पर आन्दोलन चलाने के अतिरिक्त ट्रेड यूनियनों ने शायद ही कभी राष्ट्रीय विकास और समृद्धि के लिए कोई कार्यक्रम अपनाया हो। ट्रेड यूनियनों के समक्ष सबसे बड़ा कार्य अपने लोगों का जीवन स्तर सुधारने का है, उसके लिये

संस्थाओं को निरन्तर उद्योगशील रहने की आवश्यकता है, जिससे बेकारी का निमूलन हो सके। परन्तु दुर्भाग्य से राजनैतिक दल जो ट्रेड यूनियनों पर नियन्त्रण रखते हैं, मजदूरों को कार्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित प्राथमिकता नहीं देते। ट्रेड यूनियनों को इस बात की अनुमति नहीं देनी चाहिये कि उनके रचनात्मक कार्यक्रमों का स्थान देश की राजनैतिक दलों की निषेधात्मक नीतियाँ ले सकें। यद्यपि देश की राजनैतिक शक्तियां ही आधिपत्य में हैं परन्तु देश में आर्थिक समृद्धि लाने तथा राजनैतिक स्वातन्त्र्य की रक्षा करने का कार्य श्रमिक संगठनों को ही करना है। इस देश के किसी भी राजनैतिक दल को मजदूरों का मित्र नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वे गरीबों के शोषण पर ही अवलम्बित हैं। भारतवर्ष में श्रमिकों को इन राजनैतिक दलों की सफलताओं पर शायद ही प्रसन्नता होती हो क्योंकि वे शोषण का क्षेत्र बढ़ाने में सहायक हैं। राजनैतिक दलों के थोथे नारों ने हमारे श्रमिकों को पूर्णतः चौंधिया दिया है, जिससे वे सच्चे मित्र की पहचान कर पाने में असमर्थ हैं। परन्तु अभी हाल ही में भारत के मजदूरों को प्रसन्न होने का एक वास्तविक कारण उपस्थित हुआ है, जब राष्ट्र ने ट्रेड यूनियनों की श्रेष्ठता को मान्यता प्रदान करते हुए एक मजदूर नेता को उनकी दीर्घकालीन सेवाओं के बदले में देश के सर्वोच्च पद पर आसीन किया। ट्रेड यूनियनों को श्री वी० वी० गिरि की भांति और कितने ही अनुभवी मजदूर नेताओं को राष्ट्र के उच्च प्रशासनिक पदों के लिये प्रस्तुत करने का निश्चय लेना चाहिये। क्योंकि इसी से देश के गतिशील आर्थिक विकास में बाधक एकाधिकारवादियों पर रोक लग सकेगी।

समाज में श्रमिकों को सम्मानपूर्ण स्थान दिलाना केवल इच्छामात्र से नहीं हो सकता है वरन् उसके अनुरूप कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। मजदूरों को देश में अपनी इच्छा के अनुकूल नेतृत्व लाने के लिये ट्रेड यूनियनों को राजनैतिक दलों के वर्तमान प्रभाव से मुक्त करना पड़ेगा संगठनों को आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र और सक्षम करना पड़ेगा, जिससे वे अपने कार्यालय सुचारु रूप में चला सकें, पर्याप्त वेतन पर योग्य लोगों को रख सकें। इसके लिये आवश्यक है कि ट्रेड यूनियनों का चन्दा बढ़ाया

जाय, जिससे यूनियनें विशेषज्ञों की सेवायें व सम्मतियों का उपयोग करने में समर्थ हो सकें, तभी मजदूर यूनियनें राजनैतिक दलों और प्रशासन को योग्य व प्रशिक्षित अधिकारी दे पाने में समर्थ हो पावेंगी और उसी दशा में इन तंत्रों को देश में समृद्धि लाने वाले ईमानदार व राष्ट्रवादी अवयव के रूप में बनाया जा सकेगा।

सहकारी संस्थाओं को जो समाज को ट्रेड यूनियनों की मूल्यवान देन हो सकती हैं, देश में मजदूरों के हित में पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, क्योंकि आज उन पर राजनैतिक दलों का आधिपत्य है और उन्हें शोषण के लिये ही प्रयोग में लाया जाता है। मजदूरों को इस वर्तमान स्थिति को और अधिक नहीं चलने देना चाहिये तथा खेतों और कारखानों में इन संस्थाओं के अनुकूल परिस्थितियां बनानी चाहिए। जब तक मजदूर इन अहितकर शक्तियों और संस्थाओं के अतिक्रमणों का विरोध नहीं करेगा, सहकारी संस्थायें उन्हें राजनैतिक शक्ति और आर्थिक लाभ पहुंचाने का साधन बनी रहेंगी। सहकारी संस्थाओं को ट्रेड यूनियन कार्य का प्रमुख अंग होना चाहिए, यदि मजदूर वास्तव में आर्थिक प्रगति और अपना जीवन स्तर उन्नत करना चाहते हैं। चूंकि ट्रेड यूनियनों ने अभी तक अपने इस दायित्व की उपेक्षा की है, भारतीय मजदूर संघ को आगे आकर मजदूरों की सहायता करनी चाहिये तथा ट्रेड यूनियनों की सार्थक व अत्यावश्यक भूमिका का निर्वाह करना प्रारम्भ कर देना चाहिये।

देश की राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियनों की स्वतन्त्र संस्था के नाते भा० म० संघ का यह कर्तव्य है कि वह मजदूरों को उद्योगों के प्रति उसके उच्च दायित्वों के लिए प्रशिक्षित व तैयार करे। उद्योगों तथा उत्पादन व वितरण के अन्य साधनों का राष्ट्रीयकरण चिल्लाने से इच्छानुसार स्थिति नहीं आ सकती है। राष्ट्रीयकरण भारतीय मजदूर संघ द्वारा प्रतिपादित किये गये श्रमिकीकरण की ओर ही एक कदम मात्र है, श्रमिकीकरण तो इस राष्ट्रीयकरण से अत्यन्त ही प्रगतिशील पग है। परन्तु जब तक हम इसका स्पष्ट चित्र नहीं दे पाते हैं कि वास्तव में

हम क्या चाहते हैं 'श्रमिकीकरण' अर्थहीन रहेगा। आज कल देश के बैंकों व चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण में लोगों की बड़ी दिलचस्पी है, परन्तु भारतीय मजदूर संघ ने भी अभी तक इस हेतु कोई व्यापक योजना नहीं बनाई है। श्रमिकीकरण के नारे के क्रियान्वन के लिये भा० म० संघ के नेताओं को भी अनुकूल वातावरण बनाने में कठोर परिश्रम करना होगा तब मजदूर कारखानों का प्रशासन सम्हालने के योग्य बन सकेगा। इसका कारण यह नहीं है कि भारत की ट्रेड यूनियनों में ऐसे पढ़े लिखे और प्रशिक्षित सदस्यों की कमी है जो प्रशासनिक और व्यवस्थापकीय उच्च दायित्वों को सम्हाल सके। शायद ही मजदूर जो मांगता है वह उसका अभिप्राय हो। इसीलिये उच्च दायित्वों के प्रति मजदूरों को तैयार व प्रशिक्षित करने की उनकी कोई योजना नहीं है। अब निश्चय ही मजदूरों को 'उद्योगों के श्रमिकीकरण' की योजना बनाने का हमें साहस करना चाहिए और मजदूरों को इसके लिये पूर्णतः सिद्ध भी करना चाहिए। उन्हें लिखा पढ़ा, और प्रशिक्षित करना चाहिये जिससे उद्योगों को अधिक कुशल. व लाभ में चलाया जा सके। ट्रेड यूनियनों को इस कार्य की महानता से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने देश के सर्वोच्च पद की पूर्ति अपने प्रिय व आदरणीय नेता श्री वी० वी० गिरि के द्वारा सफलतापूर्वक कर ली है। इसलिये ट्रेड यूनियनों को राज्य के आधीन दायित्वपूर्ण पदो के लिये कितने ही और मजदूर नेताओं को दे सकने की कार्य क्षमता और कुशलता के प्रति किंचित भी शंका करने की जरूरत नहीं है। इस अधिवेशन में आये हुए प्रतिनिधियों को यथाशीघ्र इस कार्य को अपने हांथ में लेकर उद्योगो के श्रमिकीकरण की विस्तृत योजना बनाना चाहिये और राजनैतिक दलों के स्वार्थी नेताओं द्वारा की जाने वाली आलोचना पर ध्यान नहीं देना चाहिये।

भारत में ट्रेड यूनियनों पर राजनैतिक दलों के बढ़ते हुए प्रभाव का एक दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण असर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों के प्रति उनकी उदासीनता है। देश की आर्थिक समृद्धि के लिये औद्योगिक विकास की कोई भी योजना बनाने में ट्रेड यूनियनों को विकासमान देशों के मजदूरों

के अनुभवों से अवश्य लाभ उठाना चाहिये । भारत में चूंकि उत्पादन के मशीनी तरीके अभी हाल में ही विकसित हुए हैं, अतः उच्च जीवन स्तर वाले देशों के प्रति मजदूर आंखें नहीं बन्द कर सकता है, क्योंकि उन देशों में लम्बे और कठोर संघर्ष किये गये हैं । मजदूरों को सुलभ शोषण बनाये रखने के लिये राजनैतिक दल ट्रेड यूनियनों को अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध बनाने की कभी अनुमति नहीं दे सकते हैं क्योंकि इससे मजदूरों को निश्चय ही समाज में अपने सही स्थान का बोध हो जायेगा और परिणामस्वरूप वह राजनैतिक नेताओं को बड़ा समझने के बजाय लघु मानने लगेगा । खेतों और कारखानों में दौलत पैदा करने वालों को उसका फल पाने का भी अधिकार है, जिससे राजनैतिक दल उन्हें वंचित रखते हैं । इन्हीं कारणों से भारतीय मजदूरों को आई० एल० ओ० हो चाहे आई० सी० एफ० टी० यू०, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों से अनभिज्ञ रखा जाता है । उद्योगों के श्रमिकीकरण की योजना तैयार करने में इन अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों के विशेषज्ञों की राय प्राप्त की जा सकती है, यदि उनसे सम्बन्ध स्थापित किये जाएं । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों से सम्बन्ध बन जाने पर मजदूर शि..। का क्षेत्र विकसित हो जायेगा । दक्षता और कार्यकुशलता ..। भी स्तर ऊपर उठेगा । अतः भा० म० संघ को शीघ्र ही मजदूरों को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों तथा अन्य देशों की ट्रेड यूनियनों से निकट सम्पर्क स्थापित करने का निश्चय करना चाहिये । इससे राष्ट्र के वास्तविक निर्माता-मजदूरों को राजनैतिक दलों के निरर्थक नारों का, जिनके द्वारा उनका शोषण होता है, का ज्ञान हो जायगा और वह उनको तिलांजलि दे सकेगा ।

अभी तक भारतवर्ष की ट्रेड यूनियनों के सन्मुख चूंकि उद्योगों के श्रमिकीकरण की कोई योजना नहीं है अतः वे उद्योगों की व्यवस्था करने वाले अधिकारी दे सकने में असमर्थ हैं । मजदूरों के सामने शिक्षा सुविधाओं तथा तकनीकी जानकारी के लिये प्रशिक्षण अभाव से न मजदूरों का कल्याण है न देश का । क्योंकि आर्थिक समृद्धि करने और जीवन स्तर उठाने में यही प्रतिबाधक हैं । ट्रेड यूनियनों की गतिविधियों में यह कमी शीघ्र दूर की जानी चाहिये, जिससे प्रत्येक

ट्रेड यूनियन मजदूर शिक्षा की योजनायें ले सकें। निश्चय ही इसके लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होगी। लेकिन दायित्व पूरा करने में पैसे की कमी बाधक न होनी चाहिये और ट्रेड यूनियनों को अपना चन्दा बढ़ाना चाहिए। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने भी जिसकी सन्तुति की है, जिससे वे ट्रेड यूनियनों, सहकारी संस्थाओं, उद्योगों और सरकार के संचालन के अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकें। मजदूरों को सही शिक्षा की आवश्यकता है, जिसकी व्यवस्था ट्रेड यूनियनों को अपने प्रमुख कर्तव्य के नाते अवश्य करनी चाहिए। ट्रेड यूनियनों को अपना यह दायित्व किसी अन्य तंत्र पर नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वह सरकार हो, राजनैतिक दल या उद्योगपति हों। सरकार से आर्थिक सहयोग अवश्य लेना चाहिए। भारत में ट्रेड यूनियनों की इस दिशा में असफलता ने आर्थिक समृद्धि को रोक रखा है। भा० म० संघ को इस दायित्व को अवश्य लेना चाहिए तथा देश की एकमेव स्वतन्त्र श्रम संस्था के नाते भी इस कार्य को अपने हाथ में लेना ही चाहिए। सम्बद्ध ट्रेड यूनियनों के हरेक नेता को भी अपने सदस्यों को शिक्षित व प्रशिक्षित करके राष्ट्र के उच्च दायित्वों के वहन करने के लिये तैयार करना अपना कर्तव्य समझना चाहिए। मैं इस सही दिशा में आपकी सबकी सफलता की कामना करता हूं।

—जय भारत।

Inaugural Speech of Justice Mithan Lal or the occasion of second All India Conference of Bhartiya Mazdoor Sangh at Kanpur on 11th April, 1970

Mr. PRESIDENT,
DISTINGUISHED GUESTS, DELEGATES,
LADIES AND GENTLEMEN,

I am greatly beholden to the Bhartiya Mazdoor Sangh for inviting me to deliver the inaugural address to this second all India Conference of the Sangh. I am glad that an opportunity has been afforded to me to express my views on the various ticklish problems relating to labour-management relations, a subject with which I have been associated for some years. Most thanks are due to Sarvasri Hans Deo Singh Gautam and Ram Prakash Misra whose insistance and may I say their regard for me made me the accept the invitation.

PREAMABLE TO INDIA'S CONSTITUTION

We have adopted a federal democratic constitution in order to secure to all the citizens :-

Justice—Social, economical and political.

Liberty—of thought, expression, belief, faith & worship and

Equality—of status and opportunity.

The preamable to our constitution indicates that we are wedded to a welfare state, where the rule of law plays a dynamic role in establishing social and economic justice and equality.

CONCEPT IN OLD WESTERN DEMOCRACIES

It may be pointed out that every democratic state is not necessarily a welfare State. *In fact the idea of a welfare state* was totally missing in old democracies of the west. Their concept was that the State was onl responsible for Law and order situation and the security of the State against external aggression or internal turmoil. It had nothing to do with the welfare schemes of the citizens viz providing them with adequate means of Livelihood or securing for them equal pay for equal work. Such democracies never thought of adopting such economic measures as to avoid concentration of wealth in a few hands. They were indifferent to the course of life of the citizens with the result that the rich became richer while the poor contiued to be poor. Liberty was just in name. The capitalist and the industrialist exploited the labour who had to lead a miserable life both in factories and outside.

OUR LEADERS CONCEPT

Our leaders from long before achieving independence had been propagating the faith of common good by promotion of peoples welfare. Mahatma Gandhi, the father of our Nation, regarded people's welfare as his highest duty and the present "Sarvodaya" movement is nothing but an edifice on the same foundations.

The concept of a welfare state is based on the idea of well being of an individual and common good. The state has, thus, to adopt such policies and take such measures as may result in avoiding excessive totalitarianism on the one hand and uncontrolled individualism on the other.

DIRECTIVE PRINCIPLES ON CONSTITUTIONS

The framers of our Constitution took ample care in embodying the important constituents of a socialistic state in the

directive principles of the Constitution requiring the state to direct its policy towards securing.

(a) that all citizens have adequate means of livelihood.
(b) that there is no concentration of wealth.
(c) that there is equal pay for equal work.
(d) that the health of the worker is not abused etc.

It is further required by our constitution that the state should make effective provision for securing the right to work and a right to education as also for giving assistance to people of old age and to those who are unemployed. The State has also to make suitable laws for just and human conditions of work and for securing work to all workers as also a living wage so as to ensure a decent standard of living.

PACE OF SOCIALISM

Inspite of the said provisions in our Constitution and determination of the people to have a socialistic system with equal opportunities for all and inequalities wiped out, we have not made speedy progress towards that goal within the last two decades of our independence. Our late Prime Minister Pandit Jawahar Lal Nehru was keen that speedy practical steps towards social justice should be taken but inspite of his keenness, much progress could not be made. He himself expressed dissatisfaction on the slow progress made in this behalf. The recent Nationalisation of fourteen banks appears to be a major step in that direction. Some political parties think that right to private property should be abolished but socialism envisaged by our Constitution, or as is generally understood does not warrant it.

DUTIES OF STATE

According to our constitution, what the State has to do is to save the weak from the oppression of the strong and the labour from exploitation by the capitalist. The state has a duty to intervene in any matter endangering the welfare of the people. It

has also the duty to help an individual to develop his personality so as to increase his earning capacity and thereby the national income, leading to social-economic uplift of the country. It would not be wrong to state that the problem of poverty should no more be considered to be an individual problem but a problem of the State, because the poorer is the individual, the poorer is the country and greater is the danger to prosperity. The international labour organisation rightly made a declaration, in 1944 that "**Poverty anywhere constitutes a danger to prosperity everywhere**" The state and every citizen whether a capitalist or an agriculturist or anyother employer or even the worker has to endeavour to remove the inequality between the rich and the poor.

THREE PARTIES TO LABOUR PROBLEMS

If we all make concerted efforts towards our socialistic goal, all questions relating to labour-welfare or labour-management relations will ipsofacto be solved. At the present moment solution to the problems arising out of labour-management relations, lies in the hands of the State the industrial or agricultural management and the Unions. Each has to play a distinct role in this behalf.

LAWS AND THEIR REQUIREMENTS

The state has to make laws and direct its industrial and labour policies in the manner envisaged by the directive principles of the consitution. There are certain existing laws intending to remove inequalities e g the laws imposing different kinds of taxation, laws relating to land reforms and laws imposing ceiling on property etc. One of the objects of such laws is also to prevent concentration of wealth in a few hands and thereby reducing the gap between the rich and the poor. Inspite of the four five years plans we have not achieved success with the same pace as intended. Let us hope that certain recent changes in some of the laws alongwith greater technological progress will set a pace.

There are a different set of laws governing the Industrial relations such as making provisions for industrial disputes or laying down conditions of works or for payment of minimum wages or compensation in certain contingencies. The said laws have helped the workers to a certain extent but still a lot remains to be done. The Trade Union Law gives the Unions a place to protect the interest of workers but they are still to get their righful place in labour management relations. Laws alone cannot take us to our goal of social uplift. An atmosphere of mutual trust and good will has to be created both by management and workers unions.

CHANGES REQUIRED IN LAW

I feel no hesitation in stating that a change in the law of Trade Unions to stop multiplicity of Unions should be introduced early No unions, which has not a certain percentage of workers on its rolls should be registered. The provisions of deregistration of unions on account of certain defaults should be more stringently enforced.

The labour laws should also on a common pattern provide for a representative union and giving it a responsible position in labour management relations. Opinions may differ in what manner the representative character of a Union should be determined but there can be no difference that such a provision will ensure for the benefit of the workers, as well as the industry. Because several disputes raised on account of rivalry between different politically motivated unions, will either not be raised or will be settled amicably. If we have to achieve the objective of settlement of Industrial disputes by collective bargaining the earlier such a provision is made, the better it is.

Laws should further be amended to make the conciliation machinery more effective and fruitful than at present. There should also be provision for compulsory arbitration in certain cases, while the provision for voluntary arbitration should be made more effective in order to settle the disputes by other

methods than adjudication. The manner of reference of disputes also needs a change. The provisions of law relating to implementation of awards and agreements should b more strictly enforced. The lay off, lock-out and strike shoud be discouraged. Another change which is required in law is in respect of the workmen engaged in Public Undertakings. The workmen of such undertakings should not be differently treated than those in private undertakings. The exceptions, wherever they exist in any state law(such as in the U.P. Industrial Disputes Act) should be deleted. For if an Industry is run or controlled by Government it is in the course of its trade activities and it in no way amounts to performance of state or legal functions. Moreoever public undertakings should set an example for giving higher emoluments and better benefits as compared to private undertakings rather than otherwise.

INDUSTRIAL POLICY

The Industrial Policy of the Govt. is required to be such as may lead the country to self sufficiency in consumer goods. For that purpose fields of operation of public and private sectors should be earmarked The nationalisation of the existing major Industries and licencing in future should be done on that basis. As far as possible one sector should not be allowed to encroach upon the field of operation of the other. The management of the public undertakings should be in such hands as may be able to run the industry efficiently and maintain the labour management relations coordially. One other policy which has to be pursued is that suitable steps should be taken for the attraction of greater foreign and Indian Investment, so that the imbalance in our economy is removed. It should also speed up the process of taking over and managing such closed and sick industries as can be run efficiently by proper control and financial assistance. In short our industrial policy should be purposeful. It should be formulated on project basis keeping in view the national priorities resulting in economic growth generally.

LABOUR POLICY

The labour policy of the Govt. even under the existing laws, needs re-orientation. The labour department should play a more effective and a more prominent part in labour management cooperation, in settling labour disputes, without recourse to adjudication. The deptt. must intervene at the appropriate time, at the various stages of Industrial conflict, whether due to the high handedness of the employers or the workers or the rivalry of the unions.

LABOUR MANAGEMENT COOPERATION

Much can be achieved by labour-management-cooperation, but the very concept of labour-management cooperation, appears to be a contradiction in terms. Because both the employers and the Unions in our country think in terms of strike rather than cooperation. There is no doubt that both the employers and the Unions represent competing or may be conflicting, interests, but each of them has to realise that neither is going to disappear from the field and each group constitutes an essential limb of the Industry. Each has further to realise that there are three parties in every industry, the industry, the workers and the consumers. They have to work in a manner as to subserve the interest of all the three. The interest of the consumer lies in constant supply of the goods at reasonable prices while the interest of both the industry and the workers is linked with production. Any increase or fall in production will effect the interest of all to their advantage or disadvantage as the case may be.

CONSEQUENCES OF STRIFE AND HOW TO AVOID IT

If instead of cooperation, there is industrial strife for any cause whatsoever, it may result in go slow, lay off or lock out or strike. In every case the production either goes down or is completely stopped, with the consequence of sufferings to consumer,

worker and industry The relations between the management and labour naturally become strained. There are charges and counter charges followed by a chain of actions an' reactions. moreover, any sort of strike consumes time, energy and resources. It is thus in the interest of every body concerned to create an atmosphere for labour-management cooperation. This can easily be done if the management and labour both adopt a constructive attitude keeping in view the totality of the circumstances The employers should treat the workers as their own forgetting the question of prestige. The Unions and workers should treat the industry as a national interest. The unions should infuse in the workers a spirit of realisation of their duties and responsibilities. They should refrain from doing any thing merely due to the union rivalry. Both parties should create a spirit a of mutual trust and goodwill and foster cooperation. This done the efficiency and productivity will both be maintained without any further efforts.

MAIN CAUSE OF STRIFE

One cause of the present day industrial unrest and strife appears to be the want of maturity of judgment both on the side of the managements as well as the Unions or more precisely the leaders. Both of them do not appear to apply their minds in understanding each others point of view This attitude is perhaps more due to transitional period in the development of our industries. This phase is not peculiar to our country. Such conditions also prevailed in the early stages in other industrially developed countries, like America. It was after many years or sad experience of industrial disturbances that the spirit of labour-management cooperation was developed and the disputes came to be settled by collective bargaining. They have also an alternative method of settling disputes through grievance arbitration or voluntary arbitration. It is adopted whenever collective bargaining fails (which is very seldom) or whenever there is a dispute upon the interpretation of any clause of an agreement during its subsistance. The sprit in which the unions work in that country will be depicted by

the utterance of a Union leader JACAB POTOFSKY in 1946. He said "We do not fight the machine. We fight for the protection of the people." This should provide a guide line to our Union leaders as also the management to settle all industrial disputes by mutual negotiations or by collective bargaining or by voluntary arbitration.

PROMOTION OF COOPERATION BY LABOUR PARTICIPATION

Having stressed the necessity for labour management Cooperation it should be the endeavour of all concerned to create conditions for promotion of such relations, in order to eliminate differences and encourage cooperation. Some suggestions have already been made in the forgoing paras. Another, perhaps the most important is, to allow labour participation in management affairs more freely and frequently. It may be through joint consultation committees or Joint Management Councils or through any other mode, but not a mere code of conduct or discipline as was tried or a mere recommendation as in the case of Works Committees appointed under Sec 3 of the Industrial Disputes Act. There should be a legal sanction to make the work of Joint Management Councils more effective. To my mind, if the attitude of the employers had been more responsive, if there had been no multiplicity of unions with political rivalry, if there had been a provision for a representative Union competent to deliver goods, even the present provision of Law for works Committees would have shown better results. The law should be so changed as to recognise the appointment of Joint Management Councils in certain industries. More powers should be given to it and the recommendations should be made enforcible.

COOPERATION IS KEY TO PRODUCTIVITY

All concerned must realise that labour management cooperation is the key to productivity- such cooperation is all the more necessary for banishing poverty from our land, for greater is the

prosperity the less is the poverty. For that purpose, the resources of men, material and management have to be so pooled together as to give the best results. The gains of higher productivity should be shared both bv the industry as well as the workers. The management must realise that higher productivity is the result of greater efforts on the part of the workmen.

SHARING OF GAINES OF PRODUCTIVITY

Such efforts must be rewarded by distributing a part of the gains to the workers. In what manner and to what extent the gains should go to labour is a controvertial question, but opinions do not differ that a substantial part should go to their share.

It is the function of the management to plan the schemes of productivity, but their introduction should as far as possible be done after an agreement with the unions. It will also be better to introduce system of payment by results after fixing a norm and a fall back wage for the worker. There should also be incentive scheme for payment of higher wages/rates on achieving the 1st efficiency over the norm and still higher wages/rates for achieving the 2nd efficiency over the norm. The parties should clearly understand that what can be achieved by their cooperation, cannot be achieved by strife or differences.

ACHIEVEMENT SINCE INDEPENDANCE

No body can deny the fact that since independance the country has made a good deal of progress in the Industrial field. Many kinds of major, small scale and cottage industries have been set up. This has opened new avenues of employment to skilled and unskilled workers. There has also been a distinct improvement in the working conditions. More wages are being paid now than ever before to all kinds of labour, particularly the industrial worker. The standard of living has also gone up to some extent. There has been significant expansion in Agriculture and its production has gone up considerably, but the rural labour

still remains unorganised may be due to environments It has not gained as much as the industrial labour. But every thing said and done the nation is still faced with the problems of productivity, unemployment, under-employment and non payment of adequate wages. Industrial peace and harmoney is but in name in many industries. The productivity is low. The prevailing industrial unrest is resulting in loss of lacs of men hour every year. The leaders of the unions and management, both on regional and all India basis, should sit round the table and find out remedies to all ailments on long term and short term basis.

COORDINATION OF FIVE M'S

The basic requirement for any industrial progress or for higher and higher productivity or even for maintaining the present rate of productivity is the coordination of the three M's, or Men, Material and Management" as already stated, and two further Ms- Money and Machines. This can be achieved by mere fulfilment of the respective expectations of the management and labour.

EXPECTATIONS FROM LABOUR

The labour must perform its duties, by putting in hard work with the required skill. They should properly look after the machines, should turn out standard quality products expected from the material and machines in their charge. They must work with honesty and sincerity and should not do any thing, which may lower the production or endanger the working in any way or affect the security or do any thing else which disturbes or is likely to disturb the industrial peace and harmony The labour leaders have also to see that the workers perform their part of the job. It is their responsibility to make the labour more duty conscious than at present. In case of differences with the employers they should not give a call to "go slow" or strike. The proper course is to try to settle them, in the manner suggested without taking recource to agitational methods or even through adjudication,

both of which embitter the relations. It is the duty of the labour leaders as well as the workers, to make the industry prosper ous if not for any other reason than for their own prosperity and the prosperity of the nation.

DUTIES OF MANAGEMENT

The management has not only the corresponding responsibilities corelated to the workers duties aforesaid but its responsibilities are even greater. It has first to do both long term and short term planning in respect of the resources particularly money material and finished products so that there is no bottle neck due to any, nor any under utilisation, of men and machines. It must keep a constant vigil so that the machine efficiency is maintained and production of rated capacity is obtained. This is possible only when machines are constantly kept in good conditions by taking timely steps for repairs, for replacement of wornout parts and for modernisation of out moded and old machines. For that purpose efficiency tests by experts have to be carried out from time to time. It has also to see that there are minimum breakdowns in the machines, and no unnecessary wastage and that quality control is maintained. In fact the employers must adopt a process of continuous appraisal of all factors relating to productivity.

WHAT SHOULD BE WAGE POLICY

Correlated with the productivity is the question of wages. The aim or wage policy whether on All India basis or Region-cum-industry basis or industry-cum-region basis or on individual industry basis should be that of a progressive increase. However, any real improvement in wage structure can only be brought about by increase in productvity. Everyone concerned must understand that in order to sustain increase in wages, greater and greater productivity must be achieved.

FACTORS MATERIAL OF WAGE FIXATION

In the fixation of wage structure, the factors which are

generally taken into consideration are (a) the worker gets a fair remuneration for his labour (b) there is incentive for efficiency and greater and greater efforts (c) the industry gets a fair return to the investment and (d) the prices of the product are not unduly raised so as to effect the interest of the consumber. Another factor which matters these days, due to abnormal rise in prices or articles of necessity, is the question of neutralisation of price index by some artificial formula by payment D F A. or D. A. This adjustment has become necessary to mitigate the hardships caused by price rise.

CONCEPT OF MINIMUM, FAIR & LIVING WAGES

The accepted wage concept at present is the same as defined in the form of "the minimum wage" the fair wage" and the living wage' by the committee on Fair wages (CFW) "Minimum wage" represent the lower limit of fair wage, while 'living wage' is the highest level of 'fair wage'. In between tbe two is the fair wage. These levels are neither fixed nor are they static. They would very according economic developments and changed circumstances of social justice from time to time. Different views have been expressed by the employers and the unions as to whether the' minimum wage' as defined by C. F. W. is the same as 'Need based minimum wage'. The Nationl Commission on Labour (N. C. L.) expressed the view that the two are the same and the 'need based minimum wage' is also a level or the fair wage and represents a wage higher tha then 'minimum wage' obtaining in many industries at present. For the fixation of the former capacity of industry to pay is taken (to consideration though not for the letter N. C. L. is also or the view that 'Need based Minimum wage' and wages at the higher level can be introduced in phases in mind the capacity of employer to pey. This view must be accepted.

NATIONAL MINIMUM WAGE

N.C.L. also considered the question of fixation of a Nationl

Minimum wage. After considering the various aspects of the matter itcame to the conclusion that a uniform pattern for such a wage for the whole country was 'neither feas''le nor desirable, as there was wide variation in the prevailing rates of minimum wages fixed under the 'Minimum Wages Act' even within a small geographical region. Such a minimum was could only be fixed in different homogenous regions in each state. To my mind if industries are classified into financially well placed industries and otherwise on industry-cum-region basis a phased programme of wage increase may be introduced for the former by an agreement between the employers and the union. As ementioned earlier in the context of higher productivity payment by results should be introduced in as many sections or departments of an industry as possible.

WAGE DIFFERENTIALS

At w'atever level of the wage standards described above the wages are fixed, the relative wages in different occupations should de such as to maint'in the wage differentials.

WORKING CONDITIONS

Much need not besaid about the working conditions as the laws make ample provisions for proper ventilation, lighting, temperature, hours of work, over time, leave, holidays and safety measures etc. The complaints about violation of such provisions are few and far between. The only thing needed is that there should be no laxity in their observance. It may also be mentioned, that placement of men and machines should be such as to allow free movements of body and limbs, without any strain. There should be occupational case without under effort causing fatigue. It is in the interest of the industry itself to keep the place of work in healthy and proper conditions and make such improvements form time to time as are in the interest of the health of the workers.

LABOUR WELFARE

So for as labour welfare goes, it is a relative term, the nation of which differs from country to country or even from region to region. It also changes with the advance of time. The directive principles of our constitutions require 'promotion of the welfare of the people' in general and 'just and human conditions of work' for working class. Welfare schemes inside the factory are inter-mingled with working conditions. Some such facilities as educational, medical, transport, recreational and canteen etc. if given to workers, will improve the standard of living and will ensure for the benefit of industry. It should however be understood by the unions that giving of such facilities should not be abused by raising unnecessary demands for extending such facilities. Such acts based upon social considerations and human relations are a more privilege to enjoy and not a legal right.

HOUSING

Housing is no doubt a part of labour welfare, but the employers cannot ordinarily be asked to provide housing to their workers, except in cases where the nature of employment requires the presence of the workers at short notice or where the industry is set up in an out of the way place. In the context of acute shortage of houses in urban areas, the govt. has to play a greater part than the employers.

RATIONALISATION & AUTOMATION

Rationalisation and automation are another trouble spot in industrial relations. Both have similar effect on employment of workers by reduction of the man strength in an industry. Both are the outcome of technological development, involving a charge in the structure and control of an industry. It cannot be denied that rationalisation plays a definite role in improving productivity. If the standard of living of the workers is to be raised, there should be a progressive increase in their wages from 'mini-

mum wage to living wage. This is possible only by increase in productivity by adopting technological advance. The unions should not therefore resist any scheme of rationalisation in the own interest of workers, may the interest of the country. However, the problem has to be tackled on the basis of human relations. Rationalisation should be done after an agreement with the union on the same lines as recommended by the 15th Indian Labour Conference 1957 i. e.

(1) There should be no retrenchment or loss in earnings of the existing employees and the surplus workers should be provided with suitable alternative jobs.

(2) There should be equitable sharing of the benefits of rationalisation.

(3) There should be proper assessment of work load.

What applies to rationalisation equally applies to automation.

It will thus appear that for the maintenance of industrial peace and harmony the basic requirement is that of the labour management cooperation. Given goodwill on both sides, it is not difficult to achieve.

CONCLUSIONS

Gentlemen, the country is passing through difficult times both politically and economically. The national interest has to be protected on all fronts. We must maintain our unity, increase our productivity and develope our resources by giving a new shape to our socio-economic structure. We must maintain descipline and follow certain code of conduct in all walks of life, so that speedy progress may be achieved towards all round prosperity. Let us all dedicate ourselves to the task of promoting National interest.

I have already taken more time than intended I would not detain you any more. I thank you all once again.

JAI HIND.

(MITHAN LAL)

Tip-Top Printers, Birhana Road, Kanpur-1

भारतीय मजदूर संघ के द्वितीय अखिल भारतीय अधिवेशन के अवसर पर
कानपुर में दिनांक ११ अप्रैल, ७० को
भारतीय मजदूर संघ के अ० भा० अध्यक्ष

श्री दादा साहेब काम्बले का भाषण

उपस्थित प्रतिनिधिगण एवं नागरिक बन्धुगण,

दिनांक १२--१३ अगस्त १९६७ को हम लोग प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन के रूप में दिल्ली में एकत्रित हुए थे। जहां भारतीय मजदूर संघ की विधिवत स्थापना की गई। उसके पश्चात विभिन्न राज्यों तथा उद्योगों में हमारे कार्य की निरन्तर प्रगति हो रही है। इसका सम्पूर्ण श्रेय आप सब कार्यकर्ताओं को है। इस बीच मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। तो भी आप सबकी सहायता से ही मैं अपने दायित्व का निर्वाह कर सका हूं। इसके लिये मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

कार्य की प्रगति का विवरण हमारे सामने रखा जायेगा। तरह–तरह की कठिनाइयों के बावजूद हम आगे बढ़ रहे हैं। उन कठिनाइयों के विषय में भी हम विचार करेंगे। आगामी कार्य की योजना भी बनावेंगे। भारतीय मजदूरों की विभिन्न समस्याओं पर गहराई से सोच विचार करेंगे तथा उन विषयों पर मार्गदर्शक प्रस्ताव पारित करेंगे। यह सब कार्य इस द्विदिवसीय अधिवेशन में सम्पन्न करना है। विशेष रूप से भारतीय मज़दूरों को समुचित मार्गदर्शन करने की जिम्मेवारी आपके ही ऊपर है। आज तक यह अनुभव किया गया है कि नई संस्था होते हुए भी भारतीय मजदूर संघ सुयोग्य मार्ग दर्शन की क्षमता रखता है। उदाहरणार्थ जीवन निर्देशांक के विषय में भारतीय मजदूर संघ द्वारा प्रस्तुत किया गया तथ्य व विवरण सब लोगों को अनिच्छा से ही क्यों न हो स्वीकार करना पड़ा। रेलवे उद्योग में स्वायत्त निगम तथा स्वतंत्र वेतन आयोग की मांग सर्व प्रथम भारतीय मजदूर संघ ने ही रक्खा, आगे चलकर अन्य फेडरेशनों को इसको स्वीकार करना पड़ा। चीनी उद्योग में हमने सर्व प्रथम यह सुझाव दिया कि चीनी मिलों के व्यवस्थापन के लिये प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तर पर औद्योगिक समि-

तियों का गठन हो, जिनमें गन्ना किसान, चीनी मिल मजदूर, उनके मालिक तथा विधान सभा के प्रतिनिधि रहें। उद्योग पर संकट आने के पश्चात यद्यपि तथाकथित प्रगतिशील आवाज उठी कि सरकार चीनी उद्योग को अपने हाथ में ले लेवें तो भी कुछ ही समय के पश्चात समाज-वादी आदि तत्वों ने हमारे ही विचार को अपनाया और सरकारीकरण का विरोध किया। बैंकिंग उद्योग के सरकारीकरण के पश्चात भी यही अनुभव आया। यद्यपि प्रारम्भ में सभी सोशलिज्म के किताबी लोगों ने सरकारीकरण का समर्थन किया परन्तु थोड़े सोच विचार के पश्चात कई समाजवादी तत्वों को भारतीय मजदूर संघ का **Autonomous Monetary Authority** का सिद्धान्त ही समर्थनीय प्रतीत हुआ और सरकार का तात्पर्य राष्ट्र नहीं इस हमारी भूमिका को उन्होंने स्वीकार किया। संसद व विधान मण्डलों के निर्वाचन क्षेत्रीय आधार के बजाय व्यवसाय के आधार पर किये जाय, भारतीय मजदूर संघ द्वारा पूर्व से ही प्रतिपादित इस सिद्धान्त को देश के अन्य क्षेत्रों में भी स्वीकार किया गया है। इतना ही नहीं तो बम्बई के अधिवेशन में इन्दिरा कांग्रेस ने भी इसे स्वीकार किया है। ऐसे कितने ही उदाहरण देश के मजदूरों के सामने है, जिनके कारण वे मार्गदर्शन के लिये भारतीय मजदूर संघ की ओर देखते हैं। उनके इस विश्वास को हमें चरितार्थ करना होगा।

वैसे हमने प्रारम्भ से ही घोषित किया है कि सही ट्रेड यूनियनिज्म के आधार पर कार्य करने वाली हमारी केन्द्रीय श्रम संस्था है। राष्ट्र-हित के चौखट के अन्तर्गत मजदूरों का हित—यही हमारा उद्देश्य है। हमारी मान्यता है कि ट्रेड यूनियन माने वह संस्था, जो कि मजदूरों की है, मजदूरों के लिये है, और मजदूरों द्वारा संचालित है। सही ट्रेड यूनियन पूर्ण रूपेण स्वतन्त्र हुआ करती है। व्यक्तिगत नेतागिरी से स्वतन्त्र, मालिकों से स्वतन्त्र, सरकार से स्वतन्त्र, राजनीतिक दलों से स्वतन्त्र तथा वाद विशेष से स्वतन्त्र। इसी मान्यता को लेकर हम अब तक कार्य करते आये हैं। कार्य क्रमश: बढ़ रहा है और अब तक की प्रगति पर्याप्त संतोषजनक रही है। किन्तु पिछले कुछ दिनों से परिस्थितियों में

तेजी से परिवर्तन हो रहा है। श्रमिक क्षेत्र में भी उसका प्रतिबिम्ब दिखाई देता है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की मान्यता छीन ली गई है। इंडियन फेडरेशन आफ इंडिपेन्डेन्ट ट्रेड यूनियन्स का अस्तित्व प्राय: समाप्त हुआ है। हिन्द मजदूर पंचायत के नेता अपनी संस्था को सुसूत्र संगठित तथा गतिमान बनाने में असफल हो रहे हैं। ट्रेड यूनियन को राजनीतिक दल का प्रत्यक्ष अंग बनाने की नीति का ही यह परिणाम है। हिन्द मजदूर सभा का कार्य अपने ढंग से चल रहा है। उनके पास स्थान-स्थान पर अच्छे कार्यकर्ता और ठीक ढंग से चलने वाली यूनियनें हैं, किन्तु उनके अन्दर अखिल भारतीय दृष्टिकोण का अभाव है। परिणामत: एच० एम० एस० की यूनियन की अवस्था मराठा कान्फेडरेशन के सदस्यों के समान **Individually Strong but Collectivelly week** सी हो गई है। देश के मजदूरों को साधारण नेतृत्व प्रदान करने में तथा श्रमिक क्षेत्र में देश विरोधी तत्वों को प्रभावी ढंग से रोकने में एच० एम० एस० समर्थ नहीं है। आई० एन० टी० यू०-सी० शासन के ही आधार पर पनप रही है, यह शासनाश्रितता जैसे कुछ समय के लिये उन्हें लाभदायक सिद्ध हुई, वैसे ही आज नाशकारी भी सिद्ध हो रही है। सिंडीकेट-इंडीकेट का प्रतिबिम्ब इंटुक में भी दिखाई दे रहा है। पहले से ही इन्टुक केवल कागजी संगठन था, फिर भी थोड़ा बहुत कार्य उसके द्वारा हो रहा था, उसमें भी अब बाधा आ गई है। आपसी खींचतान के कारण ट्रेड यूनियन का नियमित कार्य करने की उसकी क्षमता प्राय: समाप्त सी हो गई है।

कम्युनिस्टों के बारे में हमारे विचार सर्वप्रथम ये हैं कि-हम उन्हें सच्चे ट्रेड यूनियनिष्ट के नाते मान्यता नहीं देते। हमारी मान्यता है कि कम्युनिज्म और सही ट्रेड यूनियनिज्म एक दूसरे के विरोधी हैं। जहां ट्रेड यूनियनिज्म दृढ़बद्ध हो जाता है, वहां कम्युनिज्म आ नहीं सकता। ट्रेड यूनियन आन्दोलन को गलत ढंग से चलाना ताकि समस्याओं के सुलझन न निकले, असन्तोष भड़कता रहे, यही कम्युनिस्टों की नीति है। इसी नीति को लेकर कम्युनिस्ट प्रभावित ए० आई० टी० यू० सी० काम कर रही है। आज उनके अंदर फूट आ गई है। ए० आई० टी०

यू० सी० पर लगभग ८० % सी० पी० आई० का तथा २० प्रतिशत सी० पी० एम० का प्रभाव है और सी० पी० एम० ने यह तय किया है कि ए० आई० टी० यू० सी० पर कब्जा करने की दृष्टि से सी० पी० आई० को ब्लेकमेल करने में यदि वे असफल रहे तो वे दूसरा संगठन खड़ा करेंगे। परिणामस्वरूप ए० आई० टी० यू० सी, जो पहले भी सही ट्रेड यूनियन संस्था नहीं थी–आपसी संघर्ष में पूर्णरूपेण व्यस्त है। उसके कार्यकर्ता एक दूसरे की टांग खींचने में जुटे हुए हैं।

ऐसी परिस्थिति में मजदूर क्षेत्र के सामने एक अनपेक्षित प्रश्न उपस्थित हो गया है कि मजदूरों की समस्याओं का विचार तथा समाधान कौन करेगा ? उपरिनिर्दिष्ट परिस्थितियों के कारण श्रमिक क्षेत्र में एक तरह का **Vacuum** निर्माण हो रहा है। उसकी पूर्ति कौन करेगा ? क्योंकि निसर्ग या प्रकृति **Vacuum** बर्दास्त नहीं कर सकती है। भारतीय मजदूर क्षेत्र की विभिन्न शक्तियां जब आपसी संघर्षों में ही व्यस्त हैं, तब मजदूरों को संरक्षण देने का कार्य कौन करेगा ? ऐसा लगता है कि परिस्थितियों ने यह जिम्मेवारी भारतीय मजदूर संघ को ही सौंप दी है। यद्यपि यह न हमारी इच्छा थी और न हम इसके लिये तैयार ही थे, किन्तु कहा गया है कि **Time and tide wait for none** इसीलिए हमें अपनी पूरी शक्ति एकत्रित करते हुए परिस्थिति के इस आव्हान को स्वीकार करना होगा। इस दृष्टि से हमें अगले पग का विचार भी इस अधिवेशन में करना है। परिस्थिति के आह्वान को स्वीकार करने में हम असफल रहे तो वह असफलता केवल हमारी ही नहीं होगी, अपितु सम्पूर्ण मजदूर क्षेत्र की होगी। और हम सफल रहे तो वह सफलता भी केवल हमारी ही नहीं वरन् सम्पूर्ण मजदूर क्षेत्र की होगी। भारतीय मजदूर संघ के भाग्य के साथ देश के सम्पूर्ण मजदूर क्षेत्र का भाग्य जुड़ा हुआ है। इस मौलिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम अपनी दो दिन की कार्यवाही सम्पन्न करें, यही मेरी प्रार्थना है।

——०——

कानपुर में दिनांक ११ अप्रैल, ७० को

भारतीय मजदूर संघ के द्वितीय अ० भा० अधिवेशन के अवसर पर

महामंत्री श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी द्वारा

प्रस्तुत प्रतिवेदन

आदरणीय अध्यक्ष महोदय तथा प्रतिनिधि बन्धुगण,

लगभग २।। साल के बाद हम यहां भारतीय मजदूर संघ के द्वितीय अखिल भारतीय अधिवेशन के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। जैसा हमने तय किया था कि यह अधिवेशन बिजनेशसेशन के रूप में ही होगा। इसीलिये संख्या पर बल न देते हुए संविधान के अनुसार विधिवत निर्वाचित प्रमुख कार्यकर्ताओं का ही एकत्रीकरण यहां हो रहा है।

दिल्ली अधिवेशन के पश्चात हमारा कार्य प्रगति की ओर द्रुतगति से बढ़ा है, यह बात सबके ध्यान में है। मैं सोच रहा था कि इस अवधि में हमारी विभिन्न यूनियनों द्वारा की हुयी प्रगति का सर्वंकष विवरण मैं आपके सम्मुख कैसे प्रस्तुत कर सकूंगा। किन्तु अभी विभिन्न राज्यों तथा औद्योगिक महासंघों के महामन्त्रियों द्वारा जो विवरण पेश किया गया है उसके कारण मेरा कार्य बहुत आसान हो गया है। उस विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे कार्यकर्ता ट्रेड यूनियनिज्म के सभी पहलुओं में अधिकाधिक निपुण होते जा रहे हैं, तथा औद्योगिक संघर्ष, समझौता, कानूनी कार्यवाहियां, प्रचार, व संगठन आदि सभी मोर्चों पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं की भी संख्या में वृद्धि हुई है तथा उनकी गुणवत्ता भी बढ़ी हुयी है। हमारा आत्मविश्वास तथा मजदूरों का हम पर विश्वास दोनों में वृद्धि हुई है। यद्यपि यह बात सच है कि तरह तरह की कठिनाइयां हमारे सामने आ खड़ी हुई हैं, आर्थिक संकट बढ़ता ही जा रहा है; विभिन्न क्षेत्रों में मजदूरों की हमारे कार्य के लिये जो मांग है उसे पर्याप्त मात्रा में पूरा करना हमारे लिये कठिन हो रहा है, तो भी ये सारी डेवलेपमेंट कठिनाइयों के बीच हुई है जो हमारे कार्य वृद्धि की परिचायक हैं। इनका निवारण कैसे करना—इसका विचार हम इस अधिवेशन में करेंगे। यद्यपि

हम अपने अंतिम लक्ष्य से बहुत दूर हैं तो भी जितना समय हमें उपलब्ध हुआ, उसकी तुलना में कार्य की वृद्धि सन्तोषजनक है।

पिछले अधिवेशन के पश्चात हमने हिमांचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया है. जब कि उस समय हमने केरल, बंगाल, आसाम, चण्डीगढ़ तथा उड़ीसा में प्रवेशमात्र ही किया था। इस समय इन सब प्रदेशों में कार्य बढ़ा है तथा उसका सुसूत्र संगठन भी हुआ है। अन्य प्रदेशों में हुयी कार्य वृद्धि से हम परिचित ही हैं।

औद्योगिक महासंघों की दृष्टि से यह उल्लेखनीय है कि जहां दिल्ली अधि-वेशन में विद्युत महासंघ की तदर्थ समिति का निर्माण किया गया था वहां आज उस महासंघ का विधिवत गठन हो चुका है। परिवहन क्षेत्र में तदर्थ समिति का गठन इस बीच हुआ और इस अधिवेशन में परिवहन महासघ का विधिवत निर्माण किया जायेगा। पिछले अधिवेशन में खदान मजदूर संघ की तदर्थ समिति निर्माण हुई थी। इस अधिवेशन में इस महासंघ का भी विधिवत गठन होगा। भारतीय वस्त्रोद्योग कर्मचारी महासंघ ने अपनी सम्बद्ध यूनियनों की संख्या ५७ से १०० तक बढ़ाई है तथा पिछले ढाई वर्ष में कपड़ा उद्योग के बम्बई, दिल्ली, नागपुर तथा कानपुर आदि प्रमुख क्षेत्रों में इसकी यूनियनों की गति विधियां तथा शक्ति काफी बढ़ चुकी है। अखिल भारतीय सुगर मिल मजदूर संघ से सम्बद्ध यूनियनों की संख्या २७ से ३७ तक बढ़ी है तथा उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग के आर्थिक संकट की अवस्था में इस महासंघ का तथा श्री ठाकुरदास साहनी के मार्ग दर्शन में भारतीय चीनी अनुसन्धान केन्द्र द्वारा प्रस्तुत वैचारिक तथा सैद्धान्तिक नेतृत्व इस प्रदेश के अन्य महासंघों ने भी स्वीकार किया है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में यूनि-यनों की संख्या ४७ से बढ़कर ५७ हो चुकी है। टेक्सटाइल तथा इंजीनियरिंग दोनों वेज बोर्डों के सामने अपने महासघों ने ठीक ढंग से प्रतिवेदन पेश किया है तथा उनके एवार्ड प्राप्त होने के पश्चात इन दोनों उद्योगों में मजदूरों की जो निराशाजनक स्थिति हुई; उसमें उन्हें स्थान स्थान पर संघर्ष के मार्ग पर आगे बढ़ाया है। सिक यूनिट्स के बारे में भी दोनों महासघों ने ठीक ढग से सलाह दी हैं। टेक्सटाइल तथा इंजीनियरिंग व चीनी उद्योग में संघर्ष के नाते जो विभिन्न कार्यक्रम अपनाये गये उनका विस्तृत विवरण यहां सम्भवनीय नहीं। केन्द्रीय सर-कारी औद्योगिक क्षेत्र में रेलवे तथा प्रतिरक्षा के महासंघ एवं सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय मंच ये तीन संस्थायें कार्यशील हैं। इन तीनों संस्थाओं ने दिनांक १९

सितम्बर १९६८ की लाक्षणिक हड़ताल में सक्रिय हिस्सा लिया। इनके सैकड़ों कार्यकर्ता जेल गये, सस्पेन्ड तथा डिसमिस हुये। तो भी आखिर तक कर्मचारियों का हौसला बनाये रखने में ये संस्थायें सफल रहीं। हड़ताल के पश्चात् रेलवे तथा प्रतिरक्षा में जहां अन्य प्रतिस्पर्धी महासंघों के कार्य काफी पिछड़ गये हैं, वहीं हमारे महासंघों से सम्बद्ध यूनियनों की तथा सदस्यों की संख्या रेलवे में क्रमशः १० से १२ तथा ८१ हजार से २ लाख ८ हजार और प्रतिरक्षा में क्रमशः १५ से २६ तथा ५ हजार से २२ हजार तक बढ़ गई हैं। फोरम का भी कार्य अब बढ़ा है, और एक शक्ति के नाते सरकारी क्षेत्रों में सभी इसका अस्तित्व मान रहे हैं। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल में तथा उसके पश्चात् हुई कार्यवाही में भारतीय मजदूर संघ इन्टूक के अलावा अन्य सभी केन्द्रीय श्रम संस्थाओं के साथ संयुक्त मोर्चे में सक्रिय रहा है। दिनांक ४-५ जनवरी १९६९ को दिल्ली में एतदर्थ हुए सम्मेलन में भारतीय मजदूर संघ एक पक्ष के नाते रहा तथा सम्मेलन के प्रेसेडियम में हमारी ओर से श्री वी० के० मुखर्जी ने कर्मचारियों का नेतृत्व किया। इन्टर नेशनल लेबर आर्गनाइजेशन को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का भारतीय मजदूर संघ का सुझाव सभी को स्वीकार हुआ और उसके अनुसार कार्यवाही भी की गई। सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में लोक सभा को प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर संग्रह करने में भी भारतीय मजदूर संघ, उससे सम्बद्ध यूनियनें तथा सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय मंच अग्रसर रहे और ४ लाख हस्ताक्षरों का योगदान इनके द्वारा किया गया। रेलवे तथा प्रतिरक्षा में स्थानीय समस्याओं को लेकर समय समय पर तथा स्थान स्थान पर विविध माध्यमों से संघर्ष छेड़े गये तथा रेलवे कर्मचारियों के लिये स्वतन्त्र वेतन आयोग की मांग करने वाला आवेदन पत्र लगभग साढ़े ३ लाख कर्मचारियों के हस्ताक्षरों के साथ प्रस्तुत किया गया।

पिछले अधिवेशन के पश्चात इस्पात उद्योग में तदर्थ समिति का गठन हुआ है, आज इससे सम्बद्ध ६ यूनियनें कार्य कर रही हैं। शीघ्र ही इसके भी महासंघ की विधिवत् स्थापना की जावेगी।

पिछले अगस्त मास में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध महासंघ की स्थापना की है। नया महासंघ होते हुये भी कर्मचारियों की मांगों को सही ढंग से प्रस्तुत करने में, तथा इन्शोरेन्स कानून के सेक्शन ४० बी के विरोध में प्रधान मंत्री जी को हजारों हस्ताक्षरों का आवेदन पत्र

प्रस्तुत करने में तथा आटोमेशन का विरोध करने में इस महासंघ ने दूरदर्शिता एवं साहस का परिचय दिया है। इस अल्पावधि में यह महासंघ संख्या-शक्ति की दृष्टि से दूसरा स्थान प्राप्त कर चुका है।

पिछले वर्ष नेशनल आर्गनाइजेशन आफ बैंक वर्कर्स ने एक प्रस्ताव द्वारा भारतीय मजदूर संघ से अपनी सम्बद्धता कर ली है, यह एक महत्व पूर्ण घटना है। बैंकिंग उद्योग में यह संस्था भी आज क्रमांक २ पर है। विभिन्न संघर्षों में तथा कानूनी कार्यवाहियों में सफल नेतृत्व करने के कारण ही इसकी प्रगति हो सकी है।

राष्ट्रीय श्रम आयोग के सामने इस बीच हमने एक सर्वंकश प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। भारतीय मजदूर संघ की सम्पूर्ण नीति का विवरण जहां तक आज सम्भव है वहां तक इसमें आ गया है। दिनांक २२ सितम्बर १९६९ को हमारे सभी औद्योगिक महासंघों तथा भारतीय मजदूर संघ की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी को मांग पत्र सादर समर्पित किये गए। हर एक महासंघ का मांग पत्र सर्वंकश तथा उनके क्षेत्र के मजदूरों की आकांक्षाओं का समुचित प्रतिनिधित्व करने वाला रहा है। भारतीय मजदूर संघ के द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र देश के मजदूर क्षेत्र के इतिहास में अनोखे ढंग का रहा है, इसमें मजदूरों की सभी सामान्य मांगें समाविष्ट हैं, किन्तु सम्पूर्ण दृष्टिकोण से केवल मजदूरों का ही विचार न करते हुए देश के सम्पूर्ण मनुष्य शक्ति के लिए भी इस मांग पत्र में समावेश किया गया है। वैसे ही सभी मांगों को कर्तव्यों और आचरणों का एक व्यवस्थाक्रम के रूप में रखा गया है। एक पक्ष की मांग, यदि सही है; तो दूसरे किसी पक्ष का कर्तव्य बन जानी चाहिये, यही स्वस्थ तथा सुदृढ़ समाज रचना का लक्षण है। इस दृष्टि से रखा गया यह मांग पत्र देश के औद्योगिक क्षेत्र में निस्सन्देह वैचारिक क्रान्ति का पहल करेगा।

यह मांग पत्र पेश करने की दृष्टि से दिनांक १७ नवम्बर १९६९ को भारतीय मजदूर संघ द्वारा ५० हजार मजदूरों का एक विशाल प्रदर्शन दिल्ली में किया गया। यह प्रदर्शन भी अपने ढंग का अनोखा ही था। एक तो अब तक केवल अपने उद्योग की मांगों के लिये ही प्रदर्शन आयोजित करने की पद्धति थी। देश की राजधानी में किसी भी एक ही केन्द्रीय श्रम संस्था द्वारा प्रदर्शन होने का यह पहला ही अवसर था। इसके पूर्व केन्द्रीय श्रम संस्थाओं द्वारा केवल एक ही

प्रदर्शन दिल्ली में हुआ था। वह हुआ पिछली १ मई को, किन्तु वह किसी भी अकेली श्रम संस्था का नहीं था। इन्टुक के अलावा सभी केन्द्रीय श्रम संस्थायें–जिसमें भारतीय मजदूर संघ भी शामिल था – तथा अन्य कई अखिल भारतीय स्वतन्त्र फेडरेशनों का वह संयुक्त प्रदर्शन था। हमारे लिये यह गौरव की बात है कि हमारा प्रदर्शन अकेली संस्था का होते हुये भी उसकी संख्या दिनांक १ मई के संयुक्त प्रदर्शन की तुलना में कई गुना अधिक थी।

दिल्ली अधिवेशन के समय केवल एक राज्य में हमें राज्यस्तरीय मान्यता थी, वह यानी दिल्ली। इस बीच ७ नये राज्यों में राज्यस्तरीय मान्यता हमें प्राप्त हुयी है। ये राज्य हैं—पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा मैसूर। इन राज्यों में विभिन्न समितियों में हमारे प्रतिनिधियों का कार्य संतोषजनक रहा है।

सितम्बर १९६८ में हमने अखिल भारतीय मान्यता की मांग की। सरकार ने यह बताया कि राष्ट्रीय श्रम आयोग अखिल भारतीय मान्यता के सम्बन्ध में जो सिफारिशें देगा, उसके प्रकाश में मान्यता की कसौटी नये सिरे से तय की जायेगी। और उसके पश्चात हमारी मान्यता का निर्णय होगा. राष्ट्रीय श्रम आयोग ने कहा है कि अखिल भारतीय मान्यता के लिये देश के सम्पूर्ण यूनियनाइज्ड मजदूरों की कुल संख्या का एक दशमांश की कसौटी होनी चाहिये। इस पर सरकार ने अपना कोई भी निर्णय लिया नहीं। अस्थिर राजनीतिक परिस्थिति के कारण केन्द्र के सभी मन्त्री शायद स्वयं अपने को अस्थाई मानते हैं और इसके कारण कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने का दायित्व टालना चाहते हैं; किन्तु हम यह टालमटोल अधिक समय तक नहीं चलने देंगे। कोई भी कसौटी हमें स्वीकार है, किन्तु उस पर शख्ती से अमल होना चाहिये। यह बात सही है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश सरकार ने मान ली तो मान्यता के लिये ६–७ लाख सदस्यता आवश्यक रहेगी। हमारी सदस्य संख्या ४॥ से ५ लाख तक है। किन्तु जहां इस कसौटी के कारण हम मान्यता से कुछ दिन दूर रहेंगे वहां इसी के कारण आज मान्यता प्राप्त सभी केन्द्रीय श्रम संस्थाओं की मान्यता भी छीनी जा सकेगी। अतः इस कसौटी के विषय में हम चिंतित नहीं हैं। किन्तु इस विषय में शीघ्र निर्णय हो यह हमारी मांग है। और अगर इसकी पूर्ति करने में अधिक विलम्ब हुआ तो अखिल भारतीय स्तर पर एक महान संघर्ष छेड़ने का हमारा निश्चय है।

यद्यपि उपर्युक्त विवरण में औद्योगिक महासंघों के कारण बड़े उद्योगों का ही जिक्र किया गया है तो भी हम सब जानते हैं कि उनके अतिरिक्त सैकड़ों छोटे बड़े उद्योगों तथा संस्थानों में हमारी छोटी बड़ी यूनियनें जो कार्य तथा प्रगति कर रही हैं उसका बहुत बड़ा योगदान भारतीय मजदूर संघ की शक्ति बृद्धि के लिये हो रहा है। ये सभी यूनियनें अपना कार्य हिम्मत के साथ बढ़ा रही हैं। उनके कार्य क्षेत्र के रूप में चल रहे सभी उद्योगों का नाम निर्देश करना यहां सम्भवनीय नहीं है तो भी इन सब छोटी बड़ी यूनियन के कार्यकर्त्ताओं को मैं यह बताना चाहता हू कि आपके कार्यों में केन्द्र अभिरुचि ले रहा है। तथा उसके लिये आपको बधाई भी दे रहा है।

अगस्त १९६७ के प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन से लेकर आज अप्रैल, १९७० के द्वितीय अखिल भारतीय अधिवेशन तक की प्रगति का विवरण निम्न लिखित है—

		प्रथम अ० भा० अधिवेशन, १९६७		द्वितीय अ० भा० अधिवेशन, १९७०	
क्र०	प्रदेश	यूनियन सं०	सदस्य सं०	यूनियन सं०	सदस्य सं०
१.	दिल्ली	४०	४५,१४३	५५	६०,०००
२.	चण्डीगढ़	६	८५०	८	१,५००
३.	पंजाब	४०	१०,७५९	१२०	३०,०००
४.	हिमांचल प्र०	—	—	६	१,०००
५.	हरियाणा	२५	६,०००	३०	११,५००
६.	जम्बू कश्मीर	–	—	१	१००
७.	राजस्थान	४३	२३,१००	६६	४०,०००
८.	गुजरात	१३	१,०००	१४	५,०००
९.	महाराष्ट्र	६८	५१,१४३	१११	९१,०००
१०.	विदर्भ	५४	९,५००	५४	१५,०००
११.	मैसूर	२०	६,०००	३१	१०,०००
१२.	आंध्र	१०	१२,०००	३१	३०,०००
१३.	तमिलनाडु	५	५००	५	२,०००
१४.	केरल	१	५०	१०	१,०००
१५.	मध्य प्रदेश	३२	८,७५७	१०५	३५,०००
१६.	उड़ीसा	१	८००	४	३,५००
१७.	प० बंगाल	१४	१,३००	३६	१०,०००
१८.	असम	१	२,०००	६	५,०००
१९.	बिहार	२१	२५,०००	३२	४२,०००
२०.	उत्तर प्रदेश	१४९	४३,०००	१७४	६३,०००
योग		५४१	२,४६,९०२	८९९	४,५६,१००

क्र० अ० भा० औद्योगिक महासंघ	यूनियन सं०	सदस्य सं०	यूनियन सं०	सदस्य सं०
१. भारतीय रेलवे मजदूर संघ	१०	८१,६५०	११	२,०८,०००
२. नेशनल आर्गनाइजेशन आफ बैंक वर्कर्स	—	—	१३	२०,०००
३. नेशनल आर्गनाइजेशन आफ इन्शोरेन्स वर्कर्स	—	—	१९	८,०००
४. भारतीय वस्त्रोद्योग कर्मचारी महासंघ	५७	४५,३००	१००	४५,५००
५. भारतीय इन्जीनियरिंग मजदूर संघ	४७	१५,०००	५७	२५,५००
६. अ० भा० सुगर मिल मजदूर संघ	२७	५,८५१	३१	७,०००
७. अ० भा० प्रतिरक्षा मजदूर संघ	१५	५,२४७	२६	२२,०००
८. अ० भा० विद्युत मजदूर संघ	१३	६,१२५	२७	२०,०००
९. अ० भा० इस्पात मजदूर संघ	—	—	५	३,०००
१०. अ० भा० खदान मजदूर संघ	५	११,०००	०	११,०००
११. अ० भा० परिवहन मजदूर संघ	—	—	३६	२२,०००
योग	१७४	१ [illegible]०,१७३	३३४	३,९२,०००

जहां हमारी अब तक की प्रगति निस्सन्देह सन्तोष जनक है वहां परिस्थितियों ने हमारे कंधों पर अनपेक्षित दायित्व का बोझ भी बढ़ा दिया है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने इस विषय में हमारा मार्ग दर्शन किया है, उसको ध्यान में रखते हुये इस दायित्व का निर्वाह करने की क्षमता हम अपने में कैसे निर्माण कर सकते हैं, इसका सर्वांगीण विचार इस अधिवेशन में हमें करना है। मुझे विश्वास है कि अपनी स्थिति तथा देश की परिस्थितियों के सभी पहलुओं पर सर्वांगीण चर्चा करते हुये उसमें से उचित निष्कर्श निकाल कर आगामी कार्य वृद्धि की दृष्टि से समुचित निर्णय तथा उसे कार्यान्वित करने का दृढ़ निश्चय लेकर ही हम सब अपने अपने स्थान पर वापस जायेंगे।

——:०:——